# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[ चौदहवां सत्र
Fourteenth Session ]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
...gated On 1-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[ खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

पंचम माला, खंड 53, अंक 6, सोमवार, 28 जुलाई, 1975/
6 श्रावण, 1897 (शक)

# लोक सभा वाद विवाद

के

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

का

शुद्धि पत्र

पृष्ठ 9 में शीर्षक को इस प्रकार पढ़िये :

"अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1975-76
और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1972-73."

"Supplementary Demands for Grants
(General) 1975-76 and Demands for
Excess Grants (General) 1972-73."

## विषय सूची/CONTENTS

संख्या 6, सोमवार, 28 जुलाई, 1975/ 6 श्रावण, 1897 (शक)

*No. 6, Monday, July 28, 1975/Sravana 6, 1897 (Saka)*


| विषय | SUBJECT | PAGE |
|---|---|---|
| इंडोनेशिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत | Welcome to Indonesian Parliamentary Delegation . . . . . | 1 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table . . . | 1—7 |
| राज्य सभा से संदेश | Messages from Rajya Sabha . . . | 7 |
| सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति— | Committee on Pubic Undertakings— | |
| 69 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किये गये | Sixty ninth Report and Minutes presented . | 7 |
| अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति | Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . . | 7 |
| सदस्यों की पदावधि बढ़ाने के के बारे में प्रस्ताव | Extension of term of office Members . | 7—9 |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1975–76 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1972–73 | Supplementary Demands for Grants (General) 1975-76 and Demands for excess Grants (General) 1972-73 . . . . | 9—30 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S. M. Banerjee . . . | 9—11 |
| श्री चन्द्रिका प्रसाद | Shri Chandrika Prasad . . | 11—15 |
| श्रीमती पार्वती कृष्णन् | Shrimati Parvathi Krishnan . . | 15-16 |
| श्री अर्जुन सेठी | Shri Arjun Sethi . . . | 16-17 |
| श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव | Shri R. P. Yadav . . . | 18 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri . . . | 18 |
| श्री जी० विश्वनाथन् | Shri G. Viswanathan . . . | 19-20 |
| श्री श्याम सुन्दर महापात्र | Shri Shyam Sunder Mohapatra . | 20 |
| श्री के० सूर्यनारायण | Shri K. Suryanarayana . . . | 20—22 |
| श्री मूल चन्द डागा | Shri M.C. Daga . . . | 22 |
| श्री राम हेडाऊ | Shri Ram Hedaoo . . . | 22 |
| श्री पी० नरसिंह रेड्डी | Shri P. Narasimha Reddy . . | 22-23 |
| श्री एम० रामगोपाल रेड्डी | Shri M. Ram Gopal Reddy . . | 23 |

| विषय | SUBJECT | PAGE |
|---|---|---|
| श्री चिन्तामणि पाणिग्रही | Shri Chintamani Panigrahi . | 24 |
| श्री नरसिंह नारायण पांडे | Shri Narsingh Narain Pandey . | 24-25 |
| श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य | Shri Chapalendu Bhattacharyyia . | 25-26 |
| श्री के० एम० मधुकर | Shri K. M. Madhukar . . . . | 26-27 |
| श्री प्रणव कुमार मुखर्जी | Shri Pranab Kumar Mukherjee . | 27—30 |
| विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1975— | Appropriation (No. 3) Bill, 1975— | |
| पुरःस्थापित, विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव | Motion to introduce, consider and pass: . | 31-32 |
| श्री प्रणव कुमार मुखर्जी | Shri Pranab Kumar Mukherjee. | 31-32 |
| विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1975— | Appropriation (No. 4) Bill, 1975— | |
| पुरःस्थापित, विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव | Motions to introduce, consider and pass: . | 32-33 |
| श्री प्रणव कुमार मुखर्जी | Shri Pranab Kumar Mukherjee. . | 32-33 |
| कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक | Taxation Laws (Amendment) Bill . . | 33—52 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider . . . . . | 33 |
| श्री सी० सुब्रह्मण्यम् | Shri C. Subramaniam . . . | 33—36 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S. M. Banerjee . . . | 36—38 |
| श्री एस० आर० दामाणी | Shri S. R. Damani . . . | 38-39 |
| श्री वाई० एस० महाजन | Shri Y. S. Mahajan . . | 39-40 |
| श्री रामावतार शास्त्री | Shri Ramavatar Shastri . . | 40 |
| श्री डी० डी० देसाई | Shri D. D. Desai . . . . | 40-41 |
| खण्ड 2 से 125 और 1— | Clauses 2 to 125 and 1— | |
| पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में | Motion to pass, as amended . . . . | 41 |
| श्री सी० सुब्रह्मण्यम् | Shri C. Subramaniam . . . . | 41—51 |
| श्री सरजू पाण्डेय | Shri Sarjoo Pandey . . . | 51 |
| श्री डी० एन० तिवारी | Shri D. N. Tiwary . . . . | 51 |
| श्री वसंत साठे | Shri Vasant Sathe . . . | 51-52 |

| विषय | SUBJECT | PAGE |
|---|---|---|
| नागालैंड के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा को लागू रखने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प और नागालैंड राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक-- | Statutory Resolution *Re.* Continuance in force of Proclamation in respect of Nagaland and Nagaland State Legislature (Delegation of Powers) Bill— | |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motions to consider . . . | 53—57 |
| श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी | Shri K. Brahmananda Reddy . . | 53—54 |
| श्री एच० एन० मुकर्जी | Shri H. N. Mukerjee . . . | 54—55 |
| श्री जी० विश्वनाथन | Shri G. Viswanathan . | 55 |
| श्री मूल चन्द डागा | Shri M. C. Daga . . . | 56 |
| खण्ड 2, 3 और 1 | Clauses 2, 3 and 1— | |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to pass— | |
| श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी | Shri K. Brahmananda Reddy . | 56—57 |
| भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक-- | Defence of India (Amendment) Bill— | |
| विचार करने का प्रस्ताव-- | Motion to consider— | |
| श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी | Shri K. Brahmananda Reddy . | 58 |
| श्री झारखंडे राय | Shri Jharkhanande Rai . | 58—59 |

# सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

## पंचम लोक सभा

### अ

अक्किनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)

अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)

अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)

अचल सिंह, श्री (आगरा)

अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)

अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)

अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)

अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)

अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)

अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)

अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

### आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)

आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)

आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

### इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

इस्माइल, हुसैन खां श्री (बारपेटा)

### उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)

उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)

उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)

उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

### ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

### क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)

कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)

कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)

कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)

कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)

कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)

कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)

कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)

कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)

कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)

कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूच्चिरापल्ली)

कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)

कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)

कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)

कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)

काबले, श्री टी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)

कामराज, श्री के० (नागरकोइल)

कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)

काले, श्री (जालना)

कावड़े, श्री बी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्ताशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुसकोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपूर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिवेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री आनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिक लाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

## ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगांव)
बरूआ, श्री बेदव्र (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वंशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रावर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

## ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

## व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फ़ूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

## श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)


स


संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, डा० रानेन (बारसाट)

सेन, श्री राबिन (आसनसोल)

सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)

सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)

सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)

सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)

सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)

सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)

स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)

स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)

स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)

स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)

स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(ह)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)

हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)

हरि सिंह, श्री (खुर्जा)

हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)

हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)

हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)

हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

हुडा, श्री नुरुल (कछार)

होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

# लोक सभा

**अध्यक्ष**

डा० जी० एस० ढिल्लों

**उपाध्यक्ष**

श्री जी० जी० स्वैल

**सभापति तालिका**

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

**महासचिव**

श्री श्याम लाल शकधर

## भारत सरकार

### मंत्रिमंडल के सदस्य

| | |
|---|---|
| प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री | श्रीमती इन्दिरा गांधी |
| विदेश मंत्री | श्री यशवन्तराव चव्हाण |
| कृषि और सिंचाई मंत्री | श्री जगजीवन राम |
| रक्षा मंत्री | श्री स्वर्ण सिंह |
| नौवहन और परिवहन मंत्री | श्री उमाशंकर दीक्षित |
| विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री | श्री एच० आर० गोखले |
| पैट्रोलियम और रसायन मंत्री | श्री के० डी० मालवीय |
| उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री . | श्री टी० ए० पाई |
| निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री | श्री के० रघुरामैया |
| पर्यटन और नागर विमानन मंत्री | श्री राज बहादुर |
| गृह मंत्री | श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी |
| संचार मंत्री | डा० शंकर दयाल शर्मा |
| स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री | डा० कर्ण सिंह |
| वित्त मंत्री | श्री सी० सुब्रह्मण्यम |
| रेल मंत्री | श्री कमलापति त्रिपाठी |

### मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

| | |
|---|---|
| वाणिज्य मंत्री | प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय |
| योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री आई० के० गुजराल |
| पूर्ति और पुनर्वास मंत्री | श्री आर० के० खाडिलकर |
| शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री | प्रो० नुरूल हसन |
| ऊर्जा मंत्री | श्री कृष्ण चन्द्र पन्त |

| | |
|---|---|
| श्रम मंत्री | श्री रघुनाथ रेड्डी |
| इस्पात और खान मंत्री | श्री चन्द्रजीत यादव |

## राज्य मंत्री

| | |
|---|---|
| पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री के० आर० गणेश |
| उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री ए० सी० जार्ज |
| कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री शाहनवाज खां |
| विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री | महिषी डा० सरोजिनी |
| उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री बी० पी० मौर्य |
| गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री | श्री ओम मेहता |
| रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री | श्री राम निवास मिर्धा |
| वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री प्रणब कुमार मुखर्जी |
| रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी |
| उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री ए० पी० शर्मा |
| कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे |
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री विद्याचरण शुक्ल |
| पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री सुरेन्द्र पाल सिंह |
| नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री | श्री एल० एम० त्रिवेदी |

## उप-मंत्री

| | |
|---|---|
| उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री जियाउर्रहमान अंसारी |
| विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री वेदव्रत बरुआ |
| विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री बिपिनपाल दास |
| स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री ए० के० एम० इसहाक |
| पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री सी० पी० माझी |
| गृह मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री एफ़० एस० मोहसिन |



1273 LS—2

| | |
|---|---|
| शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री | श्री अरविन्द नेताम |
| संचार मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री जगन्नाथ पहाड़िया |
| कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री प्रभुदास पटेल |
| रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री जे० बी० पटनायक |
| संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री | श्री बी० शंकरानन्द |
| ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री | प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद |
| इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री सुखदेव प्रसाद |
| वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री | श्रीमती सुशीला रोहतगी |
| रेल मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री बूटा सिंह |
| निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री दलबीर सिंह |
| कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री केदार नाथ सिंह |
| वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह |
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री धर्मवीर सिंह |
| पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री जी० वेंकटस्वामी |
| श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री | श्री बाल गोविन्द वर्मा |
| शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री | श्री डी० पी० यादव |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

**सोमवार, 28 जुलाई, 1975/6 श्रावण, 1897 (शक)**
Monday, July 28, 1975/Sravana 6, 1897 (Saka)

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।**
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
[Mr Speaker in the Chair]

## इन्डोनेशिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत
## WELCOME TO INDONESIAN PARLIAMENTARY DELEGATION

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यो, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है ।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के माननीय सदस्यों और अंतः संसदीय दल की ओर से इंडोनेशिया गणतंत्र के हाऊस ऑफ पीपल्स के उपाध्यक्ष श्री मोहम्मद इसनैनी तथा इंडोनेशियाई संसदीय प्रतिनिधि मंडल के माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं । हमारे यह विशिष्ट अतिथि भारत के दौरे पर आए हैं। यह प्रतिनिधिमंडल 26 तारीख को यहां पहुंचा था। और 1 अगस्त तक यहां रहेगा । हमें अपने देश में उनकी सफल और सुखद यात्रा की कामना करते हैं । उनके जरिए हमें इंडोनेशिया के लोगों, उनकी संसद और उनकी सरकार को शुभ कामनाएं भेजते हैं।

---

## सभा पटल पर रखे गए पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में विवरण

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** मैं देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में एक विवरण ( हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण ) सभा पटल पर रखता हूं।
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9865/75]

### प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'आर्थिक प्रगति के लिए नये कार्यक्रम' संबंधी विवरण

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :** मैं प्रधान मंत्री द्वारा 1 जुलाई, 1975 को घोषित "आर्थिक प्रगति के लिए नया कार्यक्रम" सम्बन्धी एक विवरण, सभा पटल पर रखता हूं :
[ग्रंथालय में रखा गया / देखिए संख्य एल० टी० 9866/75]

**हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड, पिंपरी और हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की समीक्षा**

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश) :** मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड, पिंपरी, पूना के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड, पिंपरी, पूना का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रासायनी (महाराष्ट्र) के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रासायनी (महाराष्ट्र) का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 9867/75]

**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण**

**कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रख ता हूं :—

(एक) भारतीय कृषि अनुसन्धान, परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9868/75]

**परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 44 तथा विधान सभाओं के लिए हुए सामान्य निर्वाचनों संबंधी प्रतिवेदन 1974 और प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण के बारे में विवरण**

**विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के बारे में परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 44 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसचना संख्या सां० आ० 289 (ङ) में प्रकाशित हुआ

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9869/75]

(2) (एक) वर्ष 1974 के दौरान, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पाण्डिचेरी विधान सभाओं के लिए हुए सामान्य निर्वाचनों सम्बन्धी प्रतिवेदन --संख्यिकीय एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 9870/75]

**अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनएं**

**गृह मंत्रालय कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय-कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :** मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 19 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 872 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) पहला संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 26 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिधसूचना संख्या सा० सा० नि० 899 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 9871/75]

**संघ सरकार के वित्त लेखे, वर्ष 1973-74, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 1973-74 तथा एक विवरण**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) वर्ष 1973-74 के लिये संघ सरकार के वित्त लेख की एक प्रति ।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक के वर्ष, 1973 के प्रतिवेदन -- संघ सरकार (वाणिज्यिक) --भाग 5--व्यक्तिगत रुचि के मामले तथा कम्पनी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के सारांश की एक प्रति ।

(3) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक के वर्ष 1974 के प्रतिवेदन --संघ सरकार (वाणिज्यिक) के निम्नलिखित भागों की एक-एक प्रति :--

(i) भाग दो --भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन ।

(ii) भाग तीन-- हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन ।

(4) उपर्युक्त (1) (2) और (3) में उल्लिखित दस्तावेजों के अंग्रजी संस्करण के साथ उन के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 9872/75]।

### उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :** मैं (एक) गेहूं तथा धान के उत्पादन और वसूली के बारे में श्री बाल कृष्ण वेंकन्ना नायक के तारांकित पत्र संख्या 802 के 28 अप्रैल, 1975 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० 9873/75]

### कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं

**विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) कम्पनी अधिनियम, 1966 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :--

(एक) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 10 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 327 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 16 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 414 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं का हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करण के साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 9874/75]

**आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं**

**कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सा० सां० नि० 242 (ङ) जो दिनांक, 1 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(2) दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद (निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1975 जो दिनांक 7 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 331 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी० 9875/75]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी 9876/75] ।

**समीक्षाएं तथा वार्षिक प्रतिवेदन**

**निर्माण तथा आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(क) (एक) हिन्दुस्तान हाऊसिंग फ़ैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान हाऊसिंग फ़ैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ख) (एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग) (एक) आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी० 9877/75]

(2) दिल्ली नगरीय कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली नगरीय कला आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 858 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी० 9878/75]

**टैक्सटाइल कमेटी अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं**

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह):** मैं टैक्सटाइल कमेटी अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 655 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस में दिनांक 31 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 172 (ङ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 9879/75] ।

**भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासी बोर्ड के वर्ष 1970 से 1974 तक के वार्षिक प्रतिवेदन**

**शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव):** मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासधारी बोर्ड का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासधारी बोर्ड का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासधारी बोर्ड का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(चार) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासधारी बोर्ड का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(पांच) उपर्युक्त (एक) से (चार) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 9880/75]

**पंजाब के भतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के संबंध में जांच आयोग का प्रतिवेदन और ज्ञापन**

**गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)**: मैं जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटलपर रखता हूं :—

(एक) पंजाब के कुछ भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन पर, की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन।
[ग्रथालय में रखा गई। देखिए संख्या एल० टी० 9880/75]

---

**राज्य सभा से सन्देश**

MASSAGES FROM RAJYA SABHA

**महासचिव** : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने पांडिचेरी विनियोग विधेयक (संख्या 2), 1975 के बारे में जो लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 1975 को पारित किया गया था, लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा, 25 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 1975 को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक, 1975 के साथ बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

---

**सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन तथा कार्यवाही–सारांश**

REPORT AND MINUTES OF COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

**श्री नवल किशोर शर्मा** (दौसा) : मैं भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 69वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति**

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

---

**सदस्यों की पदावधि बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव**

**Motion regarding extention of term of Office of Members**

**गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (2) को, जहां तक यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि को बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित करती है।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह हैं :—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 331 ख के उप-नियम (2) को जहां तक यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण संबंधी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि को बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित करती है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**श्री ओम मेहता** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा लोक सभा से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि लोक सभा के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक पढ़ती है।"

यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया है क्योंकि वर्तमान सत्र की अवधि बहुत कम है और समिति के सदस्यों का निर्वाचन कराना संभव नहीं है इसीलिए हमने सदस्यों की पदावधि बढ़ाना बेहतर समझा है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा लोक सभा से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि लोक सभा के आगामी सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**श्री ओम मेहता** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा को सूचित करती है कि लोक सभा से अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि लोक सभा के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ा दी गई है और राज्य सभा से सिफारिश करती है कि उक्त समिति के साथ राज्य सभा के सदस्य सम्बद्ध करने के बारे में वह ऐसी कार्यवाही करें जो वह उचित समझें।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा को सूचित करती है कि लोक सभा से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के वर्तमान सदस्यों की पदावधि लोक सभा के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ा दी गई है और राज्य सभा से सिफारिश करती है कि उक्त समिति के साथ राज्य सभा के सदस्य संबद्ध करने के बारे में वह ऐसी कार्यवाही करें जो वह उचित समझे ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

---

**अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1975-76**

**और**

**अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)**

**DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1975-76 AND SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)**

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) और अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर विचार करेंगे ।

**श्री एस० एम० बनर्जी :** (कानपुर) मैं केवल मांग संख्या 41, 59 और 2 के विषय में ही कहूंगा । मांग संख्या 41 केन्द्रीय कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते से संबद्ध है । इस महीने हमारे संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की श्री सुब्रह्मण्यम, सरदार स्वर्ण सिंह, वित्त मंत्रालय के सचिव तथा अन्य लोगों से दो घटें तक बातचीत हुई और हमें यह आश्वासन दिया गया कि अगले सप्ताह तक, जो सप्ताह बीत गया है, एक बैठक बुलाई जाएगी और इस विषय में अंतिम निर्णय लिया जाएगा । सरकारने इस बात को स्वीकार किया है कि 1 अक्तूबर 1974 से केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पांच छ: किश्तें देय है । वह अब हमें वर्तमान फार्मूले, जोकि वेतन आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद संशोधित किया गया है, पर विचार करने के लिए कह रहे हैं तीसरे वेतन आयोग ने जब अपना प्रतिवेदन दिया तो सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया फिर उसके बाद सरकार तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच लम्बे अरसे तक बातचीत होती रही और बाद में सरकार ने यह संशोधित महंगाई भत्ता फार्मूला स्वीकार करके क्रियान्वित किबा और अब सरकार वापिस वेतन आयोग वाले फार्मूले को अपनाना चाहती है ।

वेतन आयोग ने सिफारिश की थी 10 प्वांइट औसतन वृद्धि के बाद मंहगाई भत्ता दिया जाए पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद सरकार ने 8 प्वाइंट औसतन वृद्धि पर महगाई भत्ता देना स्वीकार कर लिया । जहां तक अवधि का संबंध है सरकार को महंगाई बढ़ने पर स्वंय महंगाई भत्ते की घोषणा कर देनी चाहिए लेकिन अब सरकार इसे वार्षिक बजट से संबद्ध करना चाहती है और उनका कहना है साल में एक बार ही मंहगाई भत्ते पर विचार किया जाए । यह फामूला संशोधित फार्मूले के अनुरुप नहीं है ।

[श्री एस० एम० बनर्जी]

महगाई भत्ते की राशि सबसे आपत्तिजनक फार्मूला है। संशोधित फार्मूले के अनुसार यह श्रेणी 4 के लिए 4 प्रतिशत और श्रेणी 3 के लिए 3 प्रतिशत है और अब वह हमें इसे क्रमशः 3 प्रतिशत और $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत पर स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। अखबारों, रेडियो, टेलिवीजन इत्यादि सबमें आए दिन कहा जा रहा है कि वस्तुओं के मूल्य कम हो रहे हैं इसमें सन्देह नहीं कि कुछ वस्तुओं, उदाहरणार्थ सरसों के तेल, डालडा, पोस्टमैन तेल इत्यादि के मूल्योंमें कमी हुई है पर अब फिर मूल्योंमें वृद्धि हो रही है अगर सरकार का यह वक्तव्य ठीक है कि वस्तुओं के मूल्य गिर रहे हैं तो फिर उसे महंगाई भत्ते का क्या भय है। भविष्य में महंगाई भत्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। काफी संघर्ष के बाद, बातचीत के बाद हमें वेतन आयोग का फार्मुला प्राप्त हुआ जोकि हमारे विचारानुसार प्रतिक्रियात्मक था और अब जबकि सरकार मूल्यों पर नियंत्रण पानेमें बुरी तरह असफल रही है वह हमें फार्मूला बदलने के लिए कह रही है।

वेतन आयोग ने कहा है यदि मूल्य सूचकांक 272 से ऊपर बढ़ जाता है तो या तो उसी फार्मूले को जारी रखा जाए या उसमें संशोधन किया जाए मैं चाहता हूं सरकार इस पर विचार करे सरकार $3\frac{1}{2}$ या 4 करोड़ के लिए 30 लाख कर्मचारियों को उनकी वैध देय राशि से वंचित कर रही है मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय अपने वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श करके इस सदन में अपना अंतिम निर्णय घोषित करे। सरकारी कर्मचारियों के धैर्यकी परीक्षा न ली जाए। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनकी आर्थिक नीतियों का पूर्ण समर्थन किया है प्रतिक्रियावादी शक्तियों केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रभावित नहीं कर सकी है यद्यपि जयप्रकाश नारायण ने भरसक प्रयत्न किया है पर फिर भी केन्द्रीय कर्मचारियों ने उनका साथ नहीं दिया मैं श्री प्रणब कुमार मुखर्जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस सदन में बताए कि क्या अगले सप्ताह एक बैठक बुलाई जाएगी। हम इस पर बातचीत के लिए तैयार है। भुगतान की विधि क्या होगी। क्या यह राशि नगद दी जाएगी अथवा अन्य रूप में दी जाएगी। सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की राशि दे दी गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि मुद्रास्फीति का प्रश्न केन्द्रीय कर्मचारियों के संबंध में ही क्यों लाया जाता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह केन्द्रीय कर्मचारियों को निराश न करे। इस संबंध में शीघ्र निर्णय दिया जाए। हम काई भी ऐसा फार्मूला अपनाने के लिए तैयार है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करते हों।

मेरा अन्य प्रश्न कृषि मूल्यों के संबंध में है। गेहूं, चावल और अन्य मोटे अनाजों के मूल्य कुछ राज्यों में कम हो गए हैं। चीनी का मूल्य भी 5 रुपएसे गिर कर 4 रुपए 20 पैसे तक गया पर अब फिर अचानक मूल्यों में वृद्धि हो रही है। मैं चाहता हूं सदन में इस विषय पर चर्चा की जाए कि चीनी के मूल्य में वास्तव में कमी हुई है अथवा 'आंसुका' के भय से इसका मूल्य कम हुआ है। मेरे विचार में सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप चीनी का मूल्य गिरा है। इस अवसर पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किस प्रकार बहु राष्ट्रीय निगम उत्पादन में कमी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए चार किलो डालडा की टीन पहले 57 रूपए का आता था और अब उसका मूल्य 42 रूपए हो गया है। हम इस पर बहुत प्रसन्न है। मुझे मेरे संघ के लोगों ने बताया है कि हिंदुस्तान लीवर्ज वालों ने अपने गाजियाबाद के डालडा कारखा ने में मूल्योंमें वृद्धि कराने हेतु उत्पादन बिल्कुल बन्द कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है अथवा नहीं उत्पादन को अधिकतम करने के स्थान पर उन्होंने उत्पादन बंद कर दिया है क्या इसके लिए उन्हें जेल में डाला जा सकता है?

क्या कारण है कि गाजियाबाद स्थित कारखाने में पूरी क्षमता पर उत्पादन नहीं किया जा रहा है? गाजियाबाद में उस कारखाने की क्षमता 450 टन प्रति सप्ताह है, जब कि उत्पादन केवल 200 टन प्रति सप्ताह किया जा रहा है। मूल्य के गिरने के बाद उत्पादन और घटा दिया गया है और 100 टन प्रति सप्ताह कर दिया गया है। आपात की घोषणा के बाद उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए थी, परन्तु यह उलटी बात है कि आपात की घोषणा के बाद उत्पादन घटा दिया गया है। सरकार चाहती है कि उत्पादन में वृद्धि हो, परन्तु हिन्दुस्तान लिवर्जस ने गाजियाबाद स्थित अपने कारखाने में उत्पादन घटा दिया है। उन्हें भारत रक्षा नियम अथवा आन्तिरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड दिया जाना चाहिए अन्यथा हम समझेंगे कि ये कानून केवल छोटे दुकानदारों के लिए हैं, बड़े बड़े निर्माताओं के लिए नहीं।

जहां तक मांग संख्या 59, जो कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम से सम्बन्धित है, का सम्बन्ध है, हमें सरकार द्वारा 103 रुग्ण कपड़ा मिलों का अधिग्रहण किये जाने पर बड़ी खुशी हुई थी।

हम तो चाहते थे कि समूचे कपड़ा उद्योग का अधिग्रहण किया जाये। परन्तु मिलों का अधिग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें ठीक ढंग से चलाया जाना चाहिए। इन मिलों में जो राशि लगाई गई है वह सब बेकार हो गई है, क्योंकि वित्तीय संस्थानों से ली गई राशि इन के आधुनिकीकरण पर खर्च नहीं की गई है। मैं नहीं समझता कि 2.3 करोड़ रुपये की राशि जिस को अनुपूरक मांग द्वारा मांग की जा रही है, इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगी।

इस मांग के संदर्भ में मैं दो मिलों––अर्थात् मयूर मिल और विक्टोरिया मिल का उल्लेख करूंगा। इन मिलों को जिस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने हाथ में लिया गया था, उस समय ये लाभ कमा रहे थे। परन्तु इन मिलों के जनरल मैनेजरों के कुप्रबन्ध के कारण अब इनमें घाटा हो रहा है। इन मिलों के कार्यकरण की जांच की जानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री श्री पाई, प्रो० चट्टोपाध्याय और श्री मौर्य से अनुरोध करता हूं कि दो अन्य मिलों अर्थात् लक्ष्मी रतन कॉटन मिल और ईथर्टन कॉटन मिल का अधिग्रहण किया जाये। कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इन दो मिलों का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया था। 7 जून को कानपुर में इस आशय की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद मैंने केन्द्रसे अनुरोध किया था कि लक्ष्मी रतन कॉटन मिल को राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने हाथ में लिया जाना चाहिये। केन्द्र इस बारे में सहमत हो गया था। परन्तु इन मिलों का अभी तक अधिग्रहण नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन मिलों का अभी तक राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया है। इस बारेमें यह कहा जा रहा है कि इन मिलों को अधिकार में लेने के लिये 3 करोड़ रुपये की राशिकी आवश्यकता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि इस मामलेमें और विलम्ब किया गया तो लक्ष्मी रतन कॉटन मिल का मालिक श्री राम रतन गुप्ता उस मिलकी चल और अचल सम्पत्ति को बेच देगा। अतः इस मामले को तेजी से निपटाया जाना चाहिये।

**Shri Chandrika Prasad** (Ballia): U.P., Bihar and Assam, particularly Ballia district in eastern U.P. are faced with serious floods. The floods in Ghagra have washed away nearly 150 villages in Ballia district. The flood water in Ganga is

still rising. The situation is beyond description. It is reported that a large number of people have lost their lives in a boat disaster. The number of the victims of the said boat disaster is being quoted from 50 to 200.

Such incidents are not new to the area. It is recurring feature in that area because there is no proper means of water transport there. Most of the boats plying there are very old and unfit for use and that is why every year such accidents take place there. The responsibility for such state of affairs rest with the district boards and the local police, because they pay no attention for checking the condition of the boats. If these boats are properly checked by the District Board authorities or the local police before the setting in of the monsoon, such incidents can be averted. I have raised this point a number of times but nothing has been done so far. The Central Government should supply mechanised boats or motor launches for use in that area so that the work of mail distribution is not disrupted and the relief operations can be undertaken in an emergency.

I agree that the nation is passing through economic crisis, yet a time bound plan should be formulated for putting an end of these incidents and the plan should be financed by the financial institutions of the Central and State Government and the district boards should be compelled to purchase modern boats. Whenever there is an air or train accident compensation is paid by the Government to its victims. But there is no such provision of compensation for those dying in boat mishaps. The boat passengers should be insured so that some help could be given to their families in case of tragedy.

A major part of the amount spent on flood relief goes in the pocket of Government officials. In case arrangements are made for mechanised boats, these tragedies can be averted.

The river Ghagra is gradually changing its course. If this process continues and if it joins river Ganga then the whole of the Ballia district will be ruined. Our engineers should find out some way to prevent this kind of development.

**वर्ष 1975-76 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्ताव सदस्य का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | श्री रामावतार शास्त्री | विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता। | राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें। |
| 12 | 2 | श्री रामावतार शास्त्री | ओवर-इन्वायसिंग और अन्डर-इन्वायसिंग को रोक पाने में असफलता। | ,, |
| 12 | 3 | श्री रामावतार शास्त्री | बुनकरों की समस्याओं का समाधान निकालने में असफलता। | ,, |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्ताव सदस्य का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 4 | श्री रामावतार शास्त्री | बुनकरों को विशेष सहायता देने की आवश्यकता। | राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें |
| 12 | 5 | श्री रामावतार शास्त्री | बुनकारों को सस्ते दामों पर धागे सप्लाई करने की आवश्यकता। | ,, |
| 12 | 6 | श्री रामावतार शास्त्री | बुनकरों को दिये जाने वाले धागों के बंटवारे में होने वाली धांधली को रोकने में असफलता। | ,, |
| 12 | 7 | श्री रामावतार शास्त्री | धागे में होने वाली चोरबाजारी को रोकने में असफलता। | ,, |
| 12 | 8 | श्री रामावतार शास्त्री | बुनकरों की बेकारी को समाप्त करने में असफलता। | ,, |
| 12 | 9 | श्री रामावतार शास्त्री | बुनकरों के पास जमा सूत को सरकार द्वारा खरीदने में असफलता। | ,, |
| 29 | 10 | श्री रामावतार शास्त्री | घरों में जलाने वाले कोयले के मूल्य में कमी करने की आवश्यकता। | ,, |
| 29 | 11 | श्री रामावतार शास्त्री | गैर कानूनी रूप से चलने वाले कोयला खानों को सरकार के हाथ में लेने की आवश्यकता। | ,, |
| 29 | 12 | श्री रामावतार शास्त्री | संथाल परगना, हजारीबाग तथा अन्य जिलों के निजी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता। | ,, |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | सदस्य का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 13 | श्री रामावतार शास्त्री | कोयला खानों में होने वाली हत्याओं एवं गुण्डागर्दी को रोकने में असफलता। | राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें । |
| 29 | 14 | श्री रामावतार शास्त्री | जलाने वाले कोयले के मूल्य में कमी करने के लिये कोयले की ढुलाई ट्रकों से नहीं करवा कर रेल गाड़ियों से ढुलवाने की आवश्यकता। | ,, |
| 29 | 15 | श्री रामावतार शास्त्री | कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए तथा तोड़फोड़ करने वाले तत्वों को मजदूरों से पृथक करने के लिए खानों के प्रबन्धों में मजदूरों तथा उनके प्रतिनिधियों को हिस्सा देने की आवश्यकता । | ,, |
| 29 | 16 | श्री रामावतार शास्त्री | खानों के सुचारु रूप से संचालन के लिए एआईटीयूसी, आईएनटीयूसी और हिन्द मजदूर सभा आदि संगठनों की संयुक्त कमेटियां बनाने की आवश्यकता । | ,, |
| 29 | 17 | श्री रामावतार शास्त्री | सभी सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता । | ,, |
| 29 | 18 | श्री रामावतार शास्त्री | नियंत्रित कपड़ों के मूल्यों में वृद्धि करने की गलत एवं जन विरोधी नीति । | ,, |
| 29 | 19 | श्री रामावतार शास्त्री | बरौनी में पैट्रो-रसायन कारखाना खोलने में असफलता । | ,, |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | सदस्य का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 20 | श्री रामावतार शास्त्री | तमाम गैर सरकारी दवा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता । | राशि में 100 रुपये घटा दिये जाये |
| 71 | 21 | श्री रामावतार शास्त्री | जरूरी दवाओं के मूल्यों में कमी करने की आवश्यकता । | ,, |
| 71 | 22 | श्री रामावतार शास्त्री | कालाज्वर की दवा की कमी को पूरा करने में असफलता । | ,, |
| 71 | 23 | श्री रामावतार शास्त्री | विदेशी दवा कम्पनियों के मुनाफे को बाहर भेजने पर रोक लगाने में असफलता । | ,, |

**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : महोदय, मैं अपना भाषण मांग संख्या 12 और 59 तक सीमित रखूंगी । मांग संख्या 12 विभिन्न राज्यों में जमा हथकर्घा स्टॉक से सम्बन्धित है । यह एक स्थायी समस्या है और सरकार हथकर्घा बुनकरों को संरक्षण देने और जमा स्टॉक को, निकालने के लिए कुछ नहीं कर रही है । सहकारी क्षेत्र की विशेष रूप से अवहेलना की जा रही है । हथकर्घा निर्यात निगम बड़े बड़े निजी बुनकरों से ही माल खरीदता है । इससे सहकारी क्षेत्र पर कुप्रभाव पड़ता है । हथकर्घा स्टॉक को निकालने के लिए सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । क्योंकि ऐसा करके ही धागे तथा कपड़े आदि के बाजार में व्याप्त कदाचार पर रोक लगाई जा सकती है । मंत्री महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

मांग संख्या 59 राष्ट्रीय कपड़ा निगम से सम्बन्धित है । यह विचित्र बात है कि वर्तमान आपातकालीन स्थिति में जबकि लोगों को 20-सूत्री कार्य-क्रम को लागू करने को कहा जा रहा है, कपड़ा उद्योग में एक के बाद एक एकक में लोगों को जबरी छुट्टी दी जा रही हैं। क्या इस से उत्पादन में वृद्धि होगी ? क्या इस से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा ? रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की बजाय घटाया जा रहा है तथा बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है । मंत्री महोदय को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये तथा सरकार सब मिलों को अपने हाथ में ले लें, ताकि शताब्दियों से अत्याधिक मुनाफा कमाने वाले कपड़ा मिलों के मालिकों को नियंत्रण में लाया जा सके और कपड़ा उद्योगों राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के प्रति अपना वांछित योगदान दे सके ।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन्]

मांग संख्या 71 आई० डी० पी० एल० से सम्बन्धित है। इस में कोई संदेह नहीं कि मंत्री महोदय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के बाद-प्रबन्ध और कर्मकारों में कुछ समझौता हुआ है तथा उन के सम्बन्धों में सुधार हुआ है, उत्पादन बढ़ा है तथा स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर है। परन्तु अब भी बहुत सी बातें हैं, जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आई० डी० पी० एल० सरकारी क्षेत्र का एक वाणिज्यिक उपक्रम है। इस के कर्मचारियों की वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिया जाता है। उन्हें औद्योगिक वेतन नहीं दिया जाता। अधिकांश कर्मकार तकनीशियन हैं, जिन में बहुत से बी० एस० सी०, एम० एस० सी० तथा स्नातक हैं। वे अपने वेतन ढांचे को युक्ति संगत कराना चाहते हैं। उन्हें निजी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता है। इस लिए उन का मनोबल गिरता जा रहा है। तीसरे वेतन आयोग ने भी उन की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। उन के साथ उपेक्षा पूर्ण व्यवहार किया गया है। तीसरे वेतन आयोग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन की क्या क्या समस्यायें हैं। अतः उन की मांगों को ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक अनुपूरक मांग का सम्बन्ध है, राशि की मांग इसलिए की जा रही है कि तैयार माल तथा कच्चे माल का स्टॉक जमा होने के कारण आई० डी० पी० एल० में राशि की कमी हो गई है। पहले यह कहा जाता था कि आई० डी० पी० एल० में क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है। कर्मकार सहयोग नहीं दे रहे हैं और वहां श्रमिक अशांति है। अब यह बताया गया है कि श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच कुछ बातों पर समझौता हो गया है तथा उत्पादन बढ़ रहा है और स्थिति पहले से बेहतर है। यदि ऐसा है कि उत्पादन बढ़ रहा है, फिर तो तैयार माल अथवा कच्चे माल के जमा होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

औषधि उद्योग के सम्बन्ध में हमें हाथी समिति की सिफारिशों की ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए तथा उन्हें शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। हमें इस बात की पूर्ण जानकारी है कि औषध उद्योग में भारी कदाचार व्याप्त है। बहुदेशीय निगम भारी मुनाफा कमा रहे हैं। वे अपने उत्पादों का मूल्य बहुत अधिक रखे हुए हैं। इस समय देश में औषधियों के मूल्य बहुत ऊंचे हैं। केवल यही बात नहीं है कि औषधियां बहुत महंगी हैं, अपितु इनमें चोर बाजारी भी हो रही है, क्योंकि औषधियों की बनावटी कमी पैदा की गई है। इसलिए देश के औषध उद्योग में आई० डी० पी० एल० को एक निर्णायक भूमिका निभानी है। यदि आई० डी० पी०एल० को सुचारु रूप से चलाया जाये, तो हम अपने देशी औषध उद्योग की रक्षा कर सकेंगे तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के कदाचार से भी देश को छुटकारा दिला सकेंगे।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : यह चालू वर्ष के लिए अनुदानों की मांगों की पहली किश्त है, जो 285.70 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय से सम्बन्धित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी उपक्रमों के घाटे को पूरा करना तथा उर्वरकों, कीटनाशी दवाइयों और सिंचाई आदि के बढ़ते हुए मूल्यों से पैदा स्थिति का सामना करने के लिए राज्यों के लिए ऋण और अग्रिम की व्यवस्था करना है।

मांग संख्या 2 में कहा गया है कि वर्ष में उर्वरकों की खपत का लक्ष्य पहले से अधिक रखे जाने और उर्वरकों तथा कीट नाशक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि होने तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए भारी मात्रा में राशि मांगे जाने के कारण इस राशि की व्यवस्था की जा रही है।

मांग संख्या 71 में कहा गया है कि अतिरिक्त राशि की व्यवस्था इस लिये की जा रही है क्योंकि कोरबा परियोजना के लिए प्राक्कलनों से कहीं अधिक राशि की आवश्यकता पड़ेगी।

मुझे खुशी है कि सरकार अपने वायदे पूरे कर रहा है मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि सरकार को पारादीप उर्वरक कारखाना खोलने सम्बन्धी अपने वायदे को पूरा करना चाहिए। इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी गई है परन्तु अभी तक कोई योजना अथवा कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भविष्य में इस बारे में क्या योजना अथवा कार्यक्रम है।

जहां तक उर्वरकों तथा कीटनाशी दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि का सम्बन्ध है, 22 मई, 1975 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' की सम्पादकीय टिप्पणी में कहा गया है कि सरकार की उर्वरक नीति एक घोटाला है। इसमें यह भी कहा गया है :

> "इसका कारण यह है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहे ऊंचे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विदेशों से भारी मात्रा में उर्वरकों की खरीद पर बेदर्दी से विदेशी मुद्रा व्यय कर रही है।"

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह समूचे मामले की विस्तार से जांच करे और वास्तविकता का पता लगाये। यदि ऐसा सही है तो उन व्यक्तियों को जो देश को हानि पहुंचाने के लिए उत्तर दायी हैं, दण्ड दिया जाये।

मैं सरकार से कहूंगा कि वह लम्बी अवधि से चली आ रही परियोजनाओं को पूरा करे। जहां तक उड़ीसा में आनन्दपुर बराज परियोजना का सम्बन्ध है इसपर अभी तक 150 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं परन्तु अभी परियोजना के लिए स्थल के बारे में निर्णय नहीं हो पाया है। हमें बताया गया है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने इस परियोजना की जांच की थी और उन्होंने एक उपयुक्त स्थल का सुझाव भी दिया था जो आर्थिक तथा तकनीकी दोनों दृष्टियों से व्यावहारिक था। परन्तु हाल में पता चला है कि इस परियोजना को राज्य की विकास योजनाओं में से निकाल दिया गया है। यदि यह परियोजना आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक और उचित नहीं थी तो इस पर इतना धन तथा कीमती समय क्यों बर्बाद किया गया और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? मैं शुरू से इस परियोजना के बारे में कह रहा हूं परन्तु अभी तक इसे अन्तिम रूप देने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। इस परियोजना के सम्बन्ध में जांच की जाये और गोलमाल के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाये।

**Shri R. P. Yadav** (Madhepura): I support the Supplementary Demands but before I go into these demand I want to say something about the situation prevailing in the country. I come from Bihar which is a backward State from all angles, such as in the matter of per capita income education. It has remained backward because of certain misdeeds of S.V.D. governments. The administration is completely paralysed and corruption is rampant there and indiscipline all round. What little discipline was left also collapsed under J.P.'s total revolution. There is violence throughout the State and Government have to spend a lot on maintenance of law and order. Consequently the State's overdraft has reached a very high figure. It is, therefore, very necessary that the Centre should give substantial financial assistance to the State.

So far as the declaration of emergency is concerned, the people have welcomed it. They have also welcomed the economic programme announced by the Prime Minister after the declaration of emergency. But the problem is how to implement this programme. The machinery for its implementation is the same old one which has always stood in the way of progressive measures. Such reactionary elements should be turned out of it and the peoples' representatives should be involved in this programme. No overtime should be paid to the employees and they should be disciplined during the emergency.

The water of Kosi should be properly utilised for irrigation purposes. Saharsa, Purnea and Darbhanga areas come under the Kosi command area but this area is not irrigated from Kosi waters. A sum of Rs, 30 crores has been asked for the construction of tube-wells for the purpose of irrigation. Our experience is that tube-wells are very useful. So more and more tube-wells should be constructed. Rs. 30 crores is not a big amount for this purpose.

So far as jute cultivation is concerned, the growers do not get fair price for their products as compared to the cost involved. Government have set up purchase centres of J.C.I. for the purpose but J.C.I. does not purchase jute directly from growers. If Government want to benefit the jute growers then the jute corporation should directly purchase jute from them. There must be incentive for the growers to produce more jute which is a cash crop of this area.

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna): I want to say two or three things in the context of my cut motions. The first thing is about the prices of coal. It is good that Government have not increased the price of soft coke and for this Government deserve to be congratulated. In fact there is need to reduce the price of soft coke and this can be done if instead of transporting it by trucks it is transported by rail. Government must consider this suggestion.

In Bihar there are 300 to 400 coal mines in Hazaribagh, Giridih and Santal Pargana which have not yet been nationalised. Recently it appeared in the papers that the State Government want that the Central Government should nationalise them. If this is correct the Government should take early steps to nationalise them and stop function of illegal mines.

Industrialisation of Barauni area is in progress. Bihar Government has repeatedly requested the Central Government that a petro-chemical factory should be set up there. There is great need of it.

So far as drug industry is concerned, the Hathi Committee Report is before the Government. Its recommendations should be implemented and all drug factories should be nationalised. Let the essential drugs should be made available at cheap rates and black market in drugs should be completely eleminated.

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : देश आयात स्थिति से गुजर रहा है। मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को आयात स्थिति के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का लाभ उठाना चाहिए और देश का नक्शा बदलने का प्रयास करना चाहिये। अभी तक वे मूल समस्यों का समाधान करने का प्रयास कर रही थी परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। अभी भी देश के 40से 50 लोग निर्धनता लाइन से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं यदि निर्धनता लाइन देश 40 रुपये प्रति महीना व्यक्ति माना जाये। देश में प्रति दिन 6000 लोग बेरोंजगार लोंगों की सूची में जोड़े जाते हैं। हमारे देश की जनसंख्या 2000 ईसवी के अन्त तक 100 करोंड़ हो जायेगी। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को दी गई इन शक्तियों का उपयोग इन सब बातों को रोकते और देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये किया जाये।

हमारे यहां सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्योग हैं और सरकार ने उनमें करोडों रुपया लगा रखा है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रो के उद्योगों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर उत्पादन बढ़ाना चाहिये और हड़तालें और ताला बन्दी न हो ऐसे उपाय करने चाहिये कर्मचारियों की जायज़ शिकायतो को दूर करने के लिये सरकार एक ऐसा तंत्र बनाये जो उनके हितों की रक्षा करे जिससे उत्पादन में कोई रुकावट न आये कभी कभी हमारे आयोजक फेल हुए हैं। सिंचाई और कृषि को उचित प्राथमिकता नहीं दी गई। अब समय आ गया है कि सरकार कृषि और सिंचाई और विधुत उत्पादन को उचित प्राथमिकता दे ताकि हमारे उद्योगों तथा कृषि को हानि न हो।

मुझे खुशी ह कि सरकार हथकरघे के जमा स्टाक की निकासी के लिये राज्यों की सहायता कर रही है। हथकरघा कपड़े का 36 करोड़ रुपये का माल जमा हो गया है। दक्षिणी राज्यों ने 20 करोड़ रूपये की मांग की है जबकि केन्द्र ने केवल 4 करोंड़ रुपया दिया है। केन्द्र इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 10 करोड़ कर दें जिससे कम से कम 25 प्रतिशत माल को खरीदा जा सकें और हथकरधा कर्मचारियों को राहत पहुचाई जा सके। सहकारी क्षेत्र में 25 प्रतिशत बुनकर भी नहीं हैं। मद्रास सम्मेलन में मंत्रियों ने मांग की कि इन सभी को उसके अन्तर्गत लाया जाये। यह अच्छी बात है और सहकारी समितियां बनाई जायें और उन्हे पर्याप्त धन दिया जाये।

[श्री एच० के० एल० भगत पीठासीन हुए]

[SHRI H. K. L. BHAGAT *in the Chair*]

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेवेली लिग्नाइट निगम विशेष खनन उपकरणों की खरीद के लिये 10 करोंड़ रुपया दिया गया है। हमारी मांग थी कि नेवेली दूसरी खान कट होनी चाहिये क्योंकि हमें नेवेली लिग्नाइट से बिजली मिलती है। यदि नेवेली में पूरा उत्पादन होता हैं औरविधुत उत्पादन बढ़ता है तो निश्चय ही तमिलनाडू तथा अन्य पडौसी राज्यों को लाभ होगा। दूसरी खान कट के लिये जितने धन की आवश्यकता हो वह नवेली लिग्नाइट को दिया जायें ताकि वहां पूरा उत्पादन हो और तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों को पर्याप्त बिजलीसिल मकें।

हालही में कोयलें का मूल्य बढ़ा है। मूल्य बढ़ाने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता। कोयले का मूल्य बढ़ने से उसका उपयोग करने वाले अपन उत्पादनों का मूल्य तिगुना अथवा चौगुना बढ़ा देते हैं।

[श्री जी० विश्वनाथन]

सरकार को इसका मूल्य बढ़ने नहीं देना चाहिये। कोयला खान प्राधिकर को उत्पादन बढ़ाना चाहिये और कोयले के खुदरा मूल्य को बार-बार नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। तथा सरकार इस बात पर भी ध्यान दे कि कोयले का मूल्य बढ़ने से तैयार माल का मूल्य न बढ़े।

**श्री श्याम सुन्दर महापात्र** (बालासौर): जबकि देश के सामने आर्थिक और समाजिक समस्यायें हैं, आपात स्थिति निहित हितों को समाप्त करने के लिये लागू की गई है। मानव को जीवन यापन के लिये 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है खाना, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। परन्तु, 90% लोगो को 1.4 वर्ग मीटर भी कपड़ा नहीं मिलता जबकि सरकार ने कपड़ा मिलों को प्रति व्यक्ति के लिए 12 वर्गमीटर कपड़ा उत्पादन करने के लिये कहा है। प्रयोगात्मक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने कहा है कि हम जितने कन्ट्रोल के कपड़े और स्टेण्डर्ड कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं वह खुले बाजार में पहुंच रहा है लेकिन यह कपड़ा हरिजनों, समाज के दलित वर्गों, आदिवासियों तथा पिछड़े क्षेत्र के लोगों को मुश्किल से ही कभी उपलब्ध होता है। जो मिलता है वह भी घटिया किस्म का होता है। इसी कारण से इसका स्टाक सहकारी भंडारों में जमा हो रहा है और यह लोगों को मिल नहीं रहा। अतः सरकार को समाज के दलित वर्गों को कन्ट्रोल का कपड़ा उपलब्ध कराने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।

भारत में आज 40 लाख शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं। इनमें से 22, 808 इजीनियर हैं। 6,03,273 स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं। परन्तु हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड जैसे संगठन लोगों की छटनी कर रहे हैं। उन्हें निदेश दिये जाने चाहिये कि वे लोगों की छंटनी न करें। व्यापार गृहों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी निदेश दिये जाने चाहिये कि वे अधिकाधिक लोगों को काम पर लगाये।

सिंचाई और विधुत के लिए समन्वित योजना होनी चाहिये। नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा करने के लिये अन्तिम तिथि नियत की जानी चाहिये। सरकार को उड़ीसा में आनन्दपुर परियोजना और सुवर्णरेखा परियोजना को पूरा करने के लिये अन्तिम लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये।

हमें देश से भ्रष्टाचार हमेशा के लिये समाप्त करने के लिए आपात स्थिति का प्रयोग करना चाहिये। श्री ओम मेहता ने सी० बी० आई० के लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा है कि देश भर में सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान और तेज किया जायेगा। बड़े से बड़े अधिकारी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिये। सरकार को इस बुराई को समूल नष्ट करना चाहिये ताकि कम से कम इस आपात स्थिति के दौरान यह बुराई समाप्त हो जाये।

**श्री के० सूर्यनारायण** (एलूरू): अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिन पर मंत्री जी विचार करें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की निति को क्रियान्वित करने के लिये हमारी बैंककारी संस्थानों का कुशल तथा सुचारु कार्यकरण अत्यन्त आवश्यक है। बैंको क राष्ट्रीयकरण के बाद लोगों को इनसे बहुत आशा थी। उनको आशा थी कि कृषकों और मजदूरों को लाभ मिलेगा। परन्तु यह सब ठीक नहीं निकला।

सरकारी वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीयकृत बैंको के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना का उल्लेख किया ह। उन्होंने कहा है :

"इस असन्तोष का एक कारण यह है कि जब हम कोई नया कार्य करते है तो हम प्रक्रिया तथा दृष्टिकोण को नहीं बदलते। सामाजिक ढ़ाचे तथा लोगों का मनोवृति में परिवर्तन हुआ है, परन्तु बैंक अपने पुराने तरीकों पर चल रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने वित्तीय संस्थानों के दृष्टि कोण तथा काम के ढंग में परिवर्तन करने के लिए कहा है ताकि यह लोगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

पांचवी योजना के दौरान कृषि क्षेत्र की वर्षिक ऋण आवश्यकताओं का 2500 करोड़ रूपये का अनुमान लगाया गया है। इसमें से बैंको ने गत छः वर्षो में 580 करोड़ रूपये का ऋण दिया है। जून 1969 कृषकोंको दिये गये ऋण की 188 करोड़रूपयेकी राशि बढ़कर अप्रेल, 1975 के अन्त तक 767 करोड़ रूपये हो गई। यह कुल ऋण का 8.9 प्रतिशत है।

आलोच्य वर्ष के दौरान बैंकों ने 1693 नई शाखाये खोली। दिसम्बर, 1974 तक देश में बैंकों की कुल शाखायें 18180 थी।

यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कृषि ऋण के क्षेत्र में, सहकारी बैंकिंग संस्थायें जो सफ़लता अनेक शताब्दियों के बाद प्राप्त कर पाई है, उस सफ़लता का 80 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों ने काफ़ी कम समय में प्राप्त कर लिया है। परन्तु यह तर्क प्रस्तुत करने वाले इस तथ्य को भूल जाते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों के संसाधन कितने अधिक होते हैं।

मैं गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के वारे में भी एक आध बात कहना चाहता हूं। भारतीय तथा विदेशी प्रबन्ध वाले प्राइवेट शैड्यूल बैंकों में बहुत सी अनियमिततायें पाये जाने के समाचार मिले हैं। सरकार को ग्रिंडलेज बैंक तथा इस प्रकार के अनियमित कार्य करने वाले अन्य सभी ऐसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है। कुछ भारतीय बैंक भी ऐसे हैं जहां ऋण देने के लिए गलत तरीके अपनाये जाते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में भी पक्षपात तथा भाई-भतीजाबाद का बोलबाला रहता है। सरकार को न सभी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में शीघ्र कदम उठाने चाहियें।

अन्तिम निवेदन मैं सरकार की चीनी नीति के बारे में करना चाहता हूं। सरकार द्वारा पाल ही में लेवी चीनी के मूल्यों में परिवर्तन किया गया। आन्ध्र प्रदेश में यह मूल्य 149 रुपये से घटा कर एकदम 117 रुपये कर दिया गया है। एक दम 32 रुपये का अन्तर डाल देना क्या आश्चर्जनक नहीं है ? इसका परिणाम यह हुआ है कि सहकारी चीनी के कारखाने बंद होते जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने के लिए उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। मैं वित्तमंत्री से निवेदन करता हूं कि उन्हें आन्ध्र प्रदेश बैंक के कार्यकरण की जांच

[श्री के० सूर्यनारायण]

करनी चाहिए। इसी प्रकार रिज़र्व बैंक के गवर्नर को भी विकास कार्यों की क्रियान्विति के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए।

**Shri M. C. Daga** (Pali): The greatest harm has been done to the forests in the country. Many forests have been destroyed and it has been amply stated in committee reports that if this trend is allowed to continue unchecked the situation might assume alarming proportions particularly in States having a small forest area. It has also been stated by the committee that Government has not paid adequate attention to forest safety. It is high time when something must be done to check the destruction of forests by contractors.

Yesterday it appeared in the newspapers that more than 2 lakhs building workers have been rendered jobless as the construction has been stopped. May I know what the Government is doing for the employment of building workers.

Just now some of my friends referred to Banks. In 1959, overtime to the time of Rs. 9 crores was given in Banks. Later on this amount came to 14 crores a year. But the fact of the situation is that Bank employees are so nicely paid, that they hardly deserve any overtime. They deliberately fail to complete their job during office hours. The other irregularities of the Banks should also be looked into and proper check should be imposed on the functioning of Banks.

**Shri Ram Hedaoo** (Ramtek): People at large are eagerly awaiting the outcome of economic and social programmes of change. The weaker section of the society, which remained a victim of exploitation, is still being exploited even after independence.

The Government should seriously consider the changes required in our present education system. There is lot of corruption in Education department. Teachers are not paid full salary but they are asked by the Management to sign for the receipt of full pay. This is the situation in the schools which are being run by private management though 90—95 percent grant is given by the Government. Under such circumstances, what will be the standard of education? Something must be done in this regard.

The weavers in the country are the worst victims of injustice after independence. Though an attempt was made for the betterment of weavers through co-operative or private sector but that could not be of any use for the weavers. The people who entered the field of co-operative, turned selfish and they began to make money by under hand practices. Even after 27 years of independence, the plight of weavers is as pitiable as it was before. It has rightly recommended by various committees that to safeguard the interests of weavers, their comparison should not be made with powerloom industry. During the course of this 20 point economic programme, if the Government is really interested in uplift of weavers, I will be happy to render my services and help to the Minister as I have got 8 years experience of weaving at my credit.

**श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** (चित्तूर) : सभा के विचाराधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए, मैं केवल एक दो मांगों का ही उल्लेख करना चाहता हूं। अल्पावधि उवर्रक ऋण तथा कृषि पुर्नवित्त निगम की 20 करोड़ रुपये के मांग इस बात की सूचक है कि सरकार का उद्देश्य

[श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी]

सामाजिक न्याय के साथ विकास कार्य करना है। सरकार द्वारा आपात स्थिति में घोषित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम्य क्षेत्रों के लिए ऋण देने के लिए 30 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं कि यह राशि देशभर के लिए काफ़ी नहीं है। गांवों में ऋण की मांग अधिक बढ़ेगी और इस मांग को पूरा करना पड़ेगा। सरकार ने विभिन्न भागों में 50 क्षेत्रीय ग्राम्य बैंक स्थापित करने की घोषणा भी की है। मैं सरकार को सतर्क करना चाहता हूं कि उसे इस सम्बन्ध में होने वाले ऊपरी व्यय से बचने का प्रयत्न करना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में लेवी की चीनी में 32 रुपये प्रति क्विंटल की भारी कमी कर दी गई है। इससे आन्ध्रप्रदेश के चीनी उत्पादकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। नये लेवी मूल्यों को कारखानों में किये जा रहे उत्पादन पर लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने गन्ना उत्पादकों को पहले ही कुछ अदायगी कर रखी है।

सरकार के नये 21 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लायी जा रही है। नागर्जुन सागर के निर्माण का कार्य पूरा होने वाला है और केन्द्रीय सरकार की कुछ सहायता से यह कार्य केवल एक दो वर्ष में पूरा हो सकता है। अतः इस सबम्न्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिए।

नये सुपर तापीय बिजलीघर को स्थपित करने के मामले में आन्ध्र प्रदेश की काफ़ी उपेक्षा की गई है। तापीय बिजलीघर को कोयला प्रधान क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार आन्ध्र देश में एक तापीय बिजली घर स्थापित करने की दिशा में उचित कदम उठायेगी।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** (निज़ामाबाद) : मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुए, अनुदानों की मांगें, प्रस्तुत कीं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम का भारी घाटा हो रहा है। केवल कन्ट्रोल का कपड़ा बनाने के कारण ही, निगम को 25 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निगम की मिलों में कार्यकुशलता नहीं है? क्या निगम द्वारा निर्धारित किया गया कपड़े का मूल्य कम है? मैं समझता हूं कि निजी क्षेत्र की मिलों को भी अनिवार्य रुप से कपड़ा बनाने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि यह घाटा कुछ सीमा तक कम हो सके।

आन्ध्र प्रदेश में लेवी की चीनी का मूल्य एक दो वर्ष में 32 रुपये प्रति क्विंटल घटा दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश में लेवी चीनी मूल्य लगभग 117 रुपये प्रति क्विंटल है, कुछ क्षेत्रों में यह मूल्य काफ़ी अधिक है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि आन्ध्र प्रदेश में चीनी के लेवी मूल्यों में संशोधन किया जाना चाहिए। चीनी उत्पादकों को चीनी खुले बाजार में बेचने की भी छूट होनी चाहिए। इस वर्ष भारत द्वारा 15 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा रहा है जिससे कि भारत को 500 रुपये या 600 रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। मैं सरकार को सतर्क कर देना चाहता हू कि यदि चीनी उद्योग की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, तो इस उद्योग के माध्यम से राष्ट्रीय राजकोष को जो सैंकड़ों करोड़ रुपये की आय होती है, सरकार को उससे हाथ धोना पड़ेगा। यह उद्योग समाप्त हो जायेगा। सरकार को भला इतना लाभदायक उद्योग समाप्त करने से क्या मिलेगा?

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (भुवनेश्वर) : मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए एक दो विशेष बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उनके बारे में अपेक्षित जानकारी देंगे।

हमारी योजनाओं तथा आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति के प्रभाव को कम करना है। इसका दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि जो कुछ धनराशि व्यय की जाये, उसे उत्पादन में वृद्धि करने के लक्ष्य से व्यय किया जाये। अनुपूरक अनुदानों को देखने से यह पता चलता है कि योजना परिव्यय के अन्तर्गत राज्यों को अपने संसाधनों से अधिक धन-राशि व्यय करनी पड़ेगी और इसीलिए 10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुपूरक विनियोग की व्यवस्था की गई है। तथ्य तो यह है कि गतवर्ष ही केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अपने संसाधन जुटाने का अनुरोध किया था परन्तु ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सरकार के आदेशों का कारगर ढंग से पालन नहीं किया गया। यही कारण है कि संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए 75 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा, केन्द्रीय अनुदेशों का सही ढंग से पालन न करना अच्छी बात नहीं है। यदि राज्यों का रुख ऐसा ही रहा तो हमारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम सफल नहीं हो पायेगा, जिसे कि हम कम से कम समय में क्रियान्वित करना चाहते हैं। यदि हम ऐसा न कर पाये तो हम अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले मुद्रास्फीति के प्रभाव से कुछ सबक नहीं सीख पायेंगे।

मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि पारादीप उर्वरक परियोजना पर लगभग 265 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। वर्ष 1974 में जब इस योजना का शिलान्यास किया गया था, उस समय यह आशा थी कि 1974 के अन्त या 1975 के आरम्भ में यह परियोजना चालू हो जायेगी परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ भी प्रगति नहीं हो पाई है और न हो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए एक पैसे की भी व्यवस्था वर्तमान अनुदानों में की ई गई है। इससे ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सरकार इसकी क्रियान्विति के बारे में गम्भीर नहीं है।

डेल्टा सिंचाई योजना, वर्ष 1954 में 140 करोड़ रुपये की लागत से चालू की गई थी परन्तु अब इस पर 84 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। यदि इसे आगामी कुछ वर्षों में क्रियान्वित न किया गया तो इस पर होने वाला व्यय बढ़ कर 135 करोड़ रुपये हो जायेगा। अतः इस आपात कालीन स्थिति में कम से कम इन परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए।

गैरिया बांध परियोजना की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा कोलाब तथा कुछ अन्य परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। अतः इन सब की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

**Shri Narsingh Narain Pandey** (Gorakhpur): I support the supplementary demands. The issue of sugar industry and its co-operative mills in Andhra Pradesh has been referred by many of my friends. I have been stressing in this House as well as outside the House that untill and unless a national policy is involved for sugar industry, the progress of this industry as such is not possible. The very fact of the situation is that most of the sugar mills in the states of Bihar and U.P. are quite old and outdated and their recovery is much lower than

the loss of Production. It has been rightly recommended by Bhargava Commission that the sugar mills which fails to maintain economy, should be nationed. It is a matter of satisfaction that even the people of Co-operative sector have come to this conclusion that sugar factories should be nationalised.

According to the Government figures 70 crore rupees are outstanding in the country which are to be paid to sugar cane growers by the Mill owners. Out of this rupees 40 crore are outstanding in U.P. alone. Today the farmers of U.P. and Bihar are the worst victims of floods. It is high time when Government should come forward with a similar legislation as has been formed to check the smugglars for the recovery of rupees 70 crores outstanding towards sugar mill owners. Ultimately we shall have to nationalize sugar mills. As our Prime Minister has said it will not be proper for us to nationalize sugar mills at present stage. We are also of the same opinion. Our industries should function at their full capacity.

Mr. Banerjee made a reference about the textile mills. I know a textile mill owner who is to pay a huge amount of arrears on account of sale tax. Today all the owners of the textile mills in Kanpur are trying to sell their assets and liabilities and want to settle themselves in Nepal.

The economic condition of Cotton growers is miserable. Government want to increase the production but they are not giving incentives to the producers. We have a large stock of long staple Cotton worth rupees one hundred crores, but we are not using that cotton for producing cloth. Instead of that we are importing Cotton from abroad. Government should utilize the Cotton produced in our country. Cheap cloth should be produced and made available to the poor people. Handloom industry is also facing difficulties. The weavers are in great difficulties. Some scheme should be formulated for the development of this industry. Some Committees have been appointed to go into all the aspects and problems of this industry. They have submitted their reports but those reports have not been implemented.

An assurance was given that a 400 MW Thermal Power Station will be set up at Gorakhpur but now it is being said that the said Thermal Power Station will not be set at Gorakhpur because adequate water is not available there. This power station would have been helpful for industrialising that area. Industrialists from private sector and Co-operative sector are interested in setting up industries in Gorakhpur. A technical Committee should be sent there to make study. We have to suffer a loss to the tune of rupees 100 crores due to devastating floods in Eastern districts. Lakhs of people are rendered homeless. Government give 50 crores rupees as flood relief assistance every year. It is better to set up a river valley project there. We should have talks with Nepal Government for taking up Rapti river valley project and Jalkundi river valley project. These projects will be helpful for the industrialisation of that area.

**श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य** (गिरिडीह) : मैं एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र से आया हूं जहां आदिवासी तथा गैर आदिवासी लोगों के बीच टकराव चल रहा है और जहां केवल 2 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ।

1917 में सिफ्टन सर्वे रिपोर्ट ने बताया कि पांच वर्षों में वहां दो वर्ष सूखा पड़ता है और एक वर्ष ही खूब वर्षा होती है। 1946 में विदेशी विशेषज्ञों ने एक योजना तैयार की थी और

[श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य]

सुझाव दिया था कि समूचे दामोदर घाटी निगम में कई बांध होने चाहिए और बालपहाड़ी उनमें से एक है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता तो इससे आदिवासियों को बड़ी सहायता मिलती।

मैंने अपने क्षेत्र की दयनीय स्थिति के बारे में तत्कालीन योजना मंत्री श्री डी० पी० धर को तार भेज कर वहां की स्थिति की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था किन्तु स्थिति की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। मेरा सुझाव है कि बिहार के टुण्डी क्षेत्र के बालपहाड़ी बांध को बड़ी सिंचाई की 50 मुख्य परियोजनाओं में सम्मिलित किया जाये। हमें 30,000, 40,000 या 50,000 रुपये की छोटी-छोटी योजनाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इससे मेरे पिछड़े निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तन आयेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि क्षेत्र को सहायता पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ऋण की दर बहुत ऊंची है। तकावी ऋणों में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। इसकी राशि 60 करोड़ से बढ़ा कर 120 करोड़ की जानी चाहिए। ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हम उन लोगों को सहायता दे सकें। जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

पटसन निगम, कपास निगम और अभ्रक निगम को प्रभावकारी मूल्य समर्थन हेतु समर्थ बनाने के लिए उनके संसाधनों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।

अभरक की विभिन्न किस्मों के विशेष मूल्य समाप्त कर दिए गए हैं। इससे अनेक विशेष अभरक निर्माता समाप्त हो जायेंगे और हजारों अनुभवी कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र में अभरक चूर्ण, अभरक का कागज तथा मैकानाइट विनिर्माता उद्योग स्थापित किए जाने चाहिएं।

हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र को राजसहायता नहीं दी है इसके फलस्वरूप कोयला खनिक को कम वेतन मिलता है। कोयला उद्योग क्षेत्र के वातावरण में सन्दूषण फैल रहा है जिससे सूक्ष्मजीवी तथा स्वास सम्बन्धी रोग बहुत फ़ैल रहे हैं। मैं इस परिवर्तन के लिए, जो बहुत पहले किया जाना था, कोयला खान प्राधिकरण को हाल में दी गई राज सहायता का स्वागत करता हूं।

**Shri K. M. "Madhukar"** (Kesoria): Our agriculture has to face devasting floods every year. They play havoc with our agriculture. We have to suffer heavy loss due to these tameless floods. Government formulates some schemes for controlling the floods, but the schemes are not completed. The result is this that a large area of standing crops gets inundated and we have to suffer heavy loss due to damage to the crops. The entire area between Saharasa to Champaran is submerged. The flood affected people of that area are facing great difficulties. Out of 20 Blocks in East Champaran, 13 Blocks are completely flood affected. About 20 lakhs acres of paddy field has been destroyed due to floods. Government should seriously think over the question of controlling floods by controlling the floods, we can save the people, their properties and we can increase our agricultural production.

Government should allocate more funds for implementing flood control schemes. They should see that State Governments also implement those schemes. Gandak Project in Bihar is a inter-state project. This project will help us

to irrigate about 37-1/2 lakhs acres of land in Bihar. In the beginning it was a 56 crore rupees project, but we have spent 120 crores rupees thereon, and still it has not been completed. I request that the Central Government should take over this project and complete it expeditiously.

Although there has been fall in the prices of fertilizers, even then the position is this that the small and marginal farmers have reduced the utilization of fertilizers, because still the price of fertilizers is beyond their reach. It is absolutely necessary that the price of fertilizers should be reduced so that the small and marginal farmers may get the opportunity to use the fertilizers and the agricultural production may increase.

It is necessary that there should be a national policy in regard to sugar. It has become a national demand that all the sugar mills in Uttar Pradesh and Bihar should be nationalized. 357 Members of Parliament had submitted a memorandum to the Prime Minister in this regard but nothing has been done. It is being said that we shall have to pay compensation. I want to tell the House that these mill owners have already earned huge profits. So we need not to pay any compensation to them.

It is also necessary that all the textile mills should be nationalized. We want that there should be proper distribution of cloths among the people and for that Government should take over textile industry.

Bihar and Uttar Pradesh are backward States. Government should set up Small Scale Industries in these states and small farmers and entrepreneurs should be given incentives to set up industries there. Paper industry should be set up at Champaran. Food processing industries should also be set up there. Proper attention should be paid towards backward regions.

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** सभा द्वारा बजट पारित किए जाने के पश्चात् पहली बार लगभग 285.76 करोड़ रुपये के 10 अनुदान पेश किए गए हैं। यदि हम अनुदानों को विभाजित करें तो इनकी दो श्रेणियां होंगी। पहली राज्य की सहायता के लिए दूसरी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता के लिए।

राज्य के लिए अग्रिम राशि योजना के रूप में 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था के बारे में प्रश्न किया गया है। यह सही है कि सभा में जब बजट पारित किया गया था तब वित्त मंत्री ने राज्यों के प्रशासनों के बारे में अपनी टिप्पणी दी थी और वित्तीय अनुशासन या मितव्ययता के बारे में कुछ कहा था। जिसके फलस्वरूप हम संसाधनों के व्याप्त अन्तर को कम कर सकते हैं और साथ ही अपने प्रयासों से संसाधन जुटाने का प्रयत्न कर सकते हैं। किन्तु पुनरीक्षा करने के बाद पता चला है कि कुछ राज्यों के लिए अपने संसाधन बढ़ाना संभव नहीं है। इसके साथ ही यदि इन राज्यों को अग्रिम राशि नहीं दी गई तो सम्भवत: कुल योजना परिव्यय और विशेषकर कृषि और सिंचाई जैसा प्रमुख क्षेत्र ही ठप्प हो सकता है। इसलिए साधनों के रूप में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि ये अल्पकालिक ऋण है और हमें आशा है कि राज्य सरकारें अपने संसाधन बढ़ाने का प्रयास करेंगी।

[श्री प्रणव कुमार मुखर्जी]

कुछ सदस्यों ने उर्वरकों के आयात मूल्य के बारे में असंतोष व्यक्त किया है। उर्वरकों के मूल्यों में कुछ सीमा तक घटा-बढ़ी हुई है। पूछा गया है कि इस मामले में सरकार क्या करने जा रही है। इस मामले पर निरन्तर निगरानी रखी गई है, जिसके फलस्वरूप सरकार उन क्षेत्रों के जहां से उर्वरक आयात किए जाते हैं, ठेकेदरों से वार्ता करने में सफल हो गई है। इससे हमने लगभग 93 करोड़ रुपये की बचत की है। कुछ अधिक मूल्य वाले ठेके पहले ही रद्द कर दिए गए हैं। अतः हम उर्वरकों के मूल्य कुछ सीमा तक स्थिर करने में सफ़ल हुए हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कपड़ा मिलों के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की बिगड़ती हुई स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से अनुपूरक मांगों में कुछ वित्तीय व्यवस्था की गई है। बुनकरों को कुछ राहत देने का प्रयास किया जा रहा है जिससे रोजगार बुनकर अपना माल बाजार में ले जा सकें। ऐसी सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को 5 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। हमें हथकरघा बुनकरों की समस्याओं का पता है। शिवरामन समिति की विभिन्न सिफ़ारिशों पर विचार किया गया है। कुछ को तो कार्यान्वित किया जा रहा है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास तथा क्षेत्रीय असंतुलन की बात की गई है। सरकार की हमेशा ही यह कोशिश रही है कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर हों तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि समुचित कार्यक्रम तैयार किए बिना किसी विशेष क्षेत्र को कुछ धन दे देने से या वहां कुछ उद्योग स्थापित करने से वहां का विकास नहीं हो सका। इन सब बातों की उपलब्धि के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय हर प्रकार के पग उठा रहा है। रियायतें दी जा रही हैं।

कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीकृत बैंकों की आलोचना की है और कहा है कि ये बैंक संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। जहां भी त्रुटियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके कार्यकरण में सुधार करने की कोशिश की जा रही है। किन्तु साथ ही यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बैंकों पर भी काफी भार पड़ा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंक देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में अपना पूरा योगदान देंगे।

हम भी चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में असंतोष पैदा न हो। किन्तु कई ऐसी बातें हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। यदि यह समस्या आसान होती तो महंगाई भत्ते का यह प्रश्न इतने दिनों तक यूं न लटका होता। 10 जुलाई को हुई बैठक में हमने अपने विचार व्यक्त कर दिए थे। संसद् के सत्र के बाद हम पुनः बैठक बुलायेंगे और किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। अगर महंगाई भत्ता दे कर समस्या हल हो जाती तो हम ऐसा कर देते किन्तु हमें यह भी ध्यान में रखना है कि इसके परिणाम क्या होंगे।

**सभापति महोदय** द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

*The Cut motions were put and negatived.*

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1975–76 के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं।

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| | | राजस्व रुपये | पूंजी रुपये |
| | **वाणिज्य मंत्रालय** | | |
| 12 | विदेश व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन . | 3,000 | — |
| | **ऊर्जा मंत्रालय** | | |
| 29 | कोयला और लिगनाइट . . . | — | 35,00,00,000 |
| | **वित्त मंत्रालय** | | |
| 40 | राज्य और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण | 22,50,00,000 | — |
| 41 | वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय . . | 60,00,000 | 20,00,00,000 |
| | **उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय** | | |
| 59 | उद्योग . . | — | 23,71,10,000 |
| | **पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय** | | |
| 70 | पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग . | — | 15,45,00,000 |
| 71 | खाद और रसायन उद्योग . . . | — | 31,00,00,000 |

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1972–73 के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं।

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रुपये |
| | **I. राजस्व से किया गया व्यय** | |
| 1 | रक्षा मंत्रालय | 62,179 |
| 2 | रक्षा सेवायें, सक्रिय-थल सेना | 45,78,47,342 |
| 4 | रक्षा सेवायें, सक्रिय-वायु सेना | 5,16,65,178 |
| 15 | स्टाम्प | 93,01,244 |
| 18 | टक्साल | 5,30,846 |
| 19 | पेन्शन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ | 24,94,087 |
| 20 | अफीम कारखाने और अलकलायड कारखाने | 1,89,929 |
| 21 | वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 7,89,77,414 |
| 28 | वन | 9,71,550 |
| 47 | अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह | 91,58,008 |
| 48 | अरुणाचल प्रदेश | 39,96,951 |
| 52 | औद्योगिक विकास मंत्रालय | 17,909 |
| 57 | सूचना और प्रचार | 2,91,625 |
| 70 | सड़कें | 49,31,750 |
| 72 | प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत | 6,15,439 |
| 82 | निर्माण और आवास मंत्रालय | 18,29,176 |
| 83 | लोक निर्माण कार्य | 6,60,22,094 |
| 89 | डाक और तार-कार्यचालन व्यय | 69,62,843 |
| | **II. पूंजी से किया गया व्यय** | |
| 104 | रक्षा पूंजी परिव्यय | 16,32,71,761 |
| 113 | केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम | 19,19,97,205 |
| 117 | स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय पूंजी परिव्यय | 1,10,32,614 |
| 118 | संघ राज्य क्षेत्रों में पूंजी परिव्यय | 2,49,60,086 |
| 126 | सड़कों पर पूंजी परिव्यय | 3,19,85,536 |
| 133 | दिल्ली पूंजी परिव्यय | 19,85,966 |

## विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1975

## Appropriation (No. 3) Bill 1975

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**The motion was adopted**

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी :** श्रीमान मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**सभापति महोदय** प्रश्न : है :—

"कि वित्तीय वर्ष, 1975–76 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**The motion was adopted**

सभापति महोदय : प्रश्न है :—

"कि खण्ड 2 तथा 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक के अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**The motion was adopted**

खण्ड 2 तथा 3 अनुसूची खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

*The motion was adopted.*

---

**विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1975**

APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1975.

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1973 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए उन सेवाओं के लिए अनुदित रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि 1973 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिये उन सेवाओं के लिए अनुदित रकमों से अधिक है, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

*The motion was adopted.*

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी :** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1973 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष उन सेवाओं के लिए अनुदित रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है "कि 1973 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए उन सेवाओं के लिए अनुदित रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए "

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

**सभापति महोदय** : अब हम इस पर खण्डवार विचार करेंगे :

प्रश्न यह है "कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधयक में जोड़ दिए जायें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी** मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

---

## करांधान विधि (संशोधन) विधेयक

## TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL.

**वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम )** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 धन कर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

यह विधेयक इस सदन में 9 मई 1973 को पुरःस्थापित किया गया। इस विधेयक में प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के संशोधनों से संबंधित प्रस्ताव हैं। यह प्रस्ताव प्रत्यक्ष कर जांच समिति, जोकि वांचू समिति के नाम से जानी जाती है, की सिफारिशों तथा विधि आयोग के सामाजिक और आर्थिक अपराधों के

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

जांच तथा दण्ड से संबंधित 47वें प्रतिवेदन के विस्तृत परीक्षण के उपरांत तैयार किए गए थे। विभिन्न पक्षों से पाए सुझावों के आधार पर भी कुछ संशोधन प्रायोजित किए गए। प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य उद्देश्य काले धन का पता लगाना उसको बढ़ने से रोकना, विभिन्न कानूनी त्रुटियों का सहारा लेकर जैसे ट्रस्ट बनाकर या आय और सम्पति को परिवार के सदस्यों के नाम करके जो कर बचाने की व्यवस्था है उसे रोकना, बकाया करों की राशि कम करना तथा साथ ही यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में बकाया कर की राशि इकट्ठी न हो, प्रशासनिक ढांचे को सुचारू बनाना ताकि वह कुशलता से कार्य करे।

15 मई 1973 को यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया। 20 मार्च 1975 को सदन में समिति का प्रतिवेदन पेश किया गया। प्रवर समिति के विचार विमर्श के परिणामस्वरूप इस विधेयक में कई परिवर्तन हुए। प्रवर समिति ने जो परिवर्तन किए हैं उनके लिए कारण भी बताए हैं।

जहां तक काले धन और करापवंचन को रोकने का प्रश्न है विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में अब आयुक्त तलाशी ले सकेगा और सामान जब्त कर सकेगा चाहे कर-दाता उसके क्षत्राधिकार में आता हो या नहीं। इस प्रावधान द्वारा वह उन मामलों में शीघ्र कार्यवाही करने में समर्थ होगा जहां कि विलम्ब करने से तलाशी में सफलता न मिलने की आशा हो सकती है।

कानून के उल्लंघन द्वारा जिन लोगों ने बहुत पैसा कमाया है उन पर जुर्माना लगाना निर्थक सिद्ध हुआ है। अतः कर अपराधों के लिए मुकदमें चलाने संबंधी प्रावधानों को सख्त बनाने का प्रस्ताव है। प्रवर समिति ने यह भी सिफारिश की है कि मुकदमा चलाने संबंधी प्रावधानों को अधिक प्रभाव-शाली बनाने के लिए अदालतों को जेल की सजा देने अथवा सजा की अवधि कम करने के लिए जुर्माना लगाने का जो अधिकार प्राप्त है वह वापिस लिया जाना चाहिए। मैं इन संशोधनों का स्वागत करता हूं।

अभी तक उसी व्यक्ति पर कर अपराध संबंधी मुकदमा चलाया जाता आ रहा है। जो झूठा बयान देता हो। इस विधेयक में अन्य अपराधों के साथ जानबूझकर कर अपवंचन के प्रयास संबंधी एक अन्य प्रावधान को भी जोड़ा गया है।

वांचू समिति की सिफारिशों के अनुरूप आयकर अधिनियम और सम्पत्ति कर अधिनियम की दण्ड व्यवस्था में भी संशोधन किया जा रहा है। वर्तमान दण्ड व्यवस्था अ ुसार आय अथवा सम्पति छुपाने पर उसके लिए कर न देने पर आय और संपत्ति को राशि के बराबर जुर्माना लगाया जाता है और अधिकतम जुर्माना आय अथवा संपति का दुगना है। अनुभवों से ज्ञात हुआ है कि इतना अधिक जुर्माना एक ओर करापवचंकको को गलत मार्ग पर ले जाना है और दूसरी ओर छोटे करदाताओं के ऊपर जुर्माने का भारी बोझ पड़ता है। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि आय छुपाने पर उस आय पर लगने वाले कर की दुगनी राशि जुर्माना होगी और छुपाई सम्पत्ति पर कर की 5 गुना राशि जुर्माना लगाई जाएगी। इसके साथ साथ उन व्यक्तियों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा जिनकी आय कर योग्य है पर वह उसे छिपा कर रखे हुए हैं।

मामलों के निपटान के सबंध में वांचू समिति की सिफारिशों के आधार पर एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है। यद्यपिनिपटान की प्रक्रिया चलो आ रही है फिर भी उसका कोई सांविधिक आधार नहीं है। वाचू सति ने इस संबंध में सावाधिक प्रावधानों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया अतः निपटान विभाग के लिए एक प्रावधान किया जा रहा है।

कई करदाता करों की धोखाधड़ी करके इस आधार पर जुर्माने से बचना चाहते हैं कि उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं रखा है। जो करदाता व्यवसाय में लगे हैं और जिनकी आय 25,000 रुपये सालाना से अधिक है उन्हें कहा गया है कि वह अपना हिसाब किताब अनिवार्य रूप से रखें।

करापवंचन को रोकने के लिए सर्वेक्षण एक बहुत उपयोगी उपकरण है। आयकर प्राधिकरण के कुछ विभागों को किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय गृहों की नगदी स्टाक तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की जाच करने का अधिकार है उन्हें व्यापारगृहों के अतिरिक्त दूसरे आहातों में भी जाने का अधिकार होगा जहांकि करदाता के बहीखाते, नगदी और स्टाक इत्यादि पड़े हों।

कई बार करदाता समारोहों पर अत्यधिक खर्च करते हैं और जब कर निर्धारण का मामला आता है तो उस समय सही आंकड़ों का पता लगाना कठिन हो जाता है क्योंकि समारोह को गुजरे काफी अरसा हो जाता है इसलिए हमने यह प्रावधान किया है कि आयकर प्राधिकारी समारोह के बाद संबद्ध व्यक्तियों के बयान लें और सूचना एकत्र करें ताकि कर निर्धारण के समय सही सही आंकड़ों का पता लगाया जा सके।

धार्मिक तथा परोपकारी ट्रस्टों का उपयोग करापवंचन के लिए किया जाता आ रहा है। वांचू समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त विधेयक 1972 के द्वारा आयकर तथा सम्पत्ति कर अधि-नियमों में ट्रस्टों संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया है। विधेयक में इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ अन्य संशोधनों की व्यवस्था भी की गई है। इसका उद्देश्य मुख्यतः यही रहा है कि ट्रस्टों के संस्थापक ट्रस्टों द्वारा कर अपवंचन न करें।

विधेयक में परोपकारी संस्थाओं को दिए जाने वाले गुप्त-दान पर 65 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रावधान किया गया है ताकि छिपा हुआ धन या वह धन जिसका कोई लेखा जोखा न हो इस प्रकार धर्मार्थ ट्रस्टों को देकर छुपाया न जा सके।

कानून के वर्तमान उपबंधों के अनुसार 1–4–1962 से पहले बने धर्माथ ट्रस्टों को कर से छूट दी गई है लेकिन 1–4–62 से बाद में बने ऐसे ट्रस्टों पर कर लगाया जाता है। विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि सभी ऐसे धर्मार्थ ट्रस्टों की आय पर, चाहे वह 1–4–1962 से पहले ही क्यों न बने हो, कर लगाया जाएगा। प्रवर समिति ने सिफारिश की कि 1-4-62 से पहले बने धर्मार्थ ट्रस्टों को दी गई यह छूट वापिस लेनी चाहिए क्योंकि इसके विशेषकर उन ट्रस्टों को जोकि अल्पसंख्यक समु-दायों के हितार्थ बनाए गए हैं, काफी कठिनाई होगी।

मूल विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि धर्मार्थ ट्रस्ट को गैर सरकारी व्यवसाय में पूंजी निवेश करने पर कर की छूट नहीं दी जानी चाहिए। प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि सरकार ट्रस्टों को गैर सरकारी व्यवसायों में पूंजी निवेश पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उनको ऐसे उपाय बताने चाहिए कि वे अमुक कार्यो में पूंजी निवेश कर सकते हैं और प्रवर समिति ने पूंजी निवेश के तरीके भी बताए हैं। ट्रस्टों संबंधी प्रावधानों को कर अपवंचन की आशंकाओं को टालने के उद्देश्य से सख्त बनाया जा रहा है। फिर भी प्रवर समिति ने ऐसे संशोधन की सिफारिश की है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय महत्त्व की कुछ परोपकारी राशियों को आयकर से छूट देना तथा अधिसूचना द्वारा छूट देने के लिए केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करना है। लेकिन ऐसा करते हुए इसके उद्देश्यों तथा देश पर तथा राज्य अथवा राज्यों में इसके महत्त्व को ध्यान में रखना होगा फिर भी प्रवर समिति द्वारा संशोधन प्राव-धान के अंतर्गत धार्मिक ट्रस्ट तथा संस्थाएं नहीं आई। सरकार ने अपने संशोधन में इस उपबन्ध का लाभ न्यासों अथवा संस्थाओं को, जो धार्मिक अथवा दान कार्यो के लिए स्थापित की है, भी देने की व्यवस्था है।

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

कर की बकाया पड़ी राशि भी हमारे लिए चिन्ता का विषय है । वांचू समिति ने बकाया कर को वसूल करने के लिए बहुत सी सिफारिशों की हैं और हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां तक संभव हो भविष्य में बकाया कर की राशि न इकट्ठी हो । इन सिफारिशों के आधार पर विधेयकों द्वारा बहुत संशोधन किए जाने हैं । जानबूझकर कर अपवंचन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के उपबन्ध भी किए जा रहे हैं ।

पुरःस्थापित विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि कर निर्धारण करते समय स्वतःनियोजित व्यक्ति की सकल आय का 10 प्रतिशत से अधिक औरअधिक से अधिक 300 रुपये प्रति मास अथवा सकल आय का 15 प्रतिशत जो अधिक हो, की राशि उसकी आय का निर्धारण करते समय कम कर दी जाएगी । प्रवर समिति ने यह भी सिफारिश की है कि नौकरी पेशा कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जिन्हें कर मुक्त मकान किराया भत्ता नहीं मिलता । मैं इस सिफारिश का स्वागत करता हूं ।

विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि कर निर्धारण कार्य या तत्संबंधी अपील पर हुए व्यय की राशि को भी कुल आय में से घटा देना चाहिए पर घटायी जाने वाली राशि की भी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए । विधेयक में 2000 रुपये की सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है । प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि यह राशि बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी जाए । कर प्रशासन तंत्र में सुधार लाने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं और इन उपायों से इसके कार्य में कुशलता, कर निर्धारण की प्रक्रिया में सुधार क्रिया जाए जिससे एक आय कर अधिकारी को निरीक्षक सहायक आयुक्त के पद के अधिकारी से दिशा निर्देशन और अनुभव का लाभ प्राप्त कर सकें । इससे उलझे हुए मामलों को सुलझाना सरल हो जाएगा ।

विधेयक के उद्देश्य प्रशसनाय हैं । विधेयक के अधिनियम बन जाने पर कर अपवचन को रोकने और बकाया करों की वसूली में बड़ी मदद मिलेगी । मेरा विश्वास है कि इस विधेयक को सदन का समर्थन मिलेगा । मैं प्रस्ताव पेश करता हूं ।

**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आयकर अधिनियम 1961 धन कर अधिनियम 1957, दानकर अधिनियम 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए ।"

श्री **एस० एस० बनर्जी** (कानपुर) : प्रवर समिति का सदस्य होने के नाते मैं यह स्वीकार करता हूं कि हम कुछ उपबंधों में अमूल परिवर्तन नहीं कर पाए हैं लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि करापवंचकों को सही रास्ते पर लाने के प्रयास किए गए हैं साथ ही यह भी देखने की कोशिश की गई है कि क्या देश में काले धन को सहायता, जो कि 10,000 करोड़ अथवा 20,000 करोड़ के लगभग है, एक समांतर अर्थव्यवस्था बनी हुई और क्या इस काले धन का पता लगाया जा सकता है । इस विधेयक के उद्देश्य हैं (1) काले धन का पता लगाना और इसकी वृद्धि रोकना (2) कर अपवंचन को रोकना (3) ट्रस्ट तथा परिवार के सदस्यों के नाम में धन को डालने आदि कानूनी उपायों से कर अपवंचन को रोकना (4) करों की बकाया राशि कम करना तथा भविष्य में इसकी वृद्धि को रोकना (5) छूट और कटौती को सुव्यवस्थित करना (6) प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाना और कार्यकरण को कुशल बनाना । यह उद्देश्य बड़े ही सराहनीय हैं ।

1971–72 में जिन 21 लाख लोगों का कर निर्धारण किया गया उनमें से केवल 27,442 लोगों की आय 1 लाख से अधिक थी। 1975 में यह संख्या बढ़कर 30,000 या 35,000 हो सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ रुपये का काला धन इन 27,412 लोगों में ही है। 65 करोड़ की जनसंख्या में 30,000 लोग 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपये तक का काला धन लिए हुए हैं। बड़े व्यापार गृह और एकाधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। यह देश की प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों की सहायता कर रहे हैं इन लोगों को दण्ड देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं सरकार को समय का लाभ उठाकर ऐसे कानून लाने चाहिए जिससे कि कर अपवंचकों को न्यायालय को शरण में जाने की अनुमति न हो। कुछ लोग इसे पसन्द नहीं करेंगे और वह इसकी आलोचना करेंगे लेकिन हमें आलोचना से नहीं डरना चाहिए। इस समय देश में ऐसे विधान की आवश्यकता है और तभी काले धन का पता लगाया जा सकता है।

हाल ही में बंगला देश में विमुद्रीकरण का तरीका अपनाया गया और इससे बड़ी मात्रा में काला धन बाहर आ गया। हमें भी विमुद्रीकरण कर देना चाहिए तथा शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगाई जानी चाहिए।

कुछ आयकर अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं पर कुछ आयकर अधिकारी ऐसे हैं जिनकी करापवंचकों के साथ सांठ गांठ है। कानपुर में एक विशेष मिल मालिक की सम्पत्ति कुर्क होने वाली थी कि इसकी खबर एक आयकर अधिकारी ने उसे देदी और उसने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की परिणामस्वरूप उसकी सम्पत्ति कुर्क नहीं की जा सकी। इन सज्जन ने स्वतंत्रता उपरांत एक पैसे का कर नहीं दिया इसी प्रकार एक राम रतन गुप्ता जी भी हैं जो कि कभी इस सदन के सदस्य थे और स्वतत्रता के बाद से अब तक इन्होंने आयकर, सम्पत्ति कर बिक्री या अन्य कोई कर अदा नहीं किया और अब यह सज्जन नेपाल जा रहे हैं। मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उन्हें नेपाल जाने की अनुमति न दें। हमें निम्नलिखित समितियों की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करने अथवा न करने के कारणों संबंधी कुछ फायल चाहिए थी। यह सतितयां हैं : आयकर जच समिति, 1948; आयकर जांच आयोग, 1953–54 एक ससंदसीय समिति जिसकी अध्यक्षता प्रो० कालडोर ने की प्रत्यक्ष कराधान जांच आयोग 1958–59। इन फाइलों के अभाव में इन सिफारिशों को स्वीकार करने के कारण बताना संभव नहीं। यह फाइलें उपलब्ध नहीं थीं।

कुछ ट्रस्टों के पास बहुत धन है। उदाहरण के लिए तिरुपति ट्रस्ट है बनारस का विश्वनाथ ट्रस्ट इनके पास बड़ा धन है मैं नहीं जानता कि इस धन का किस प्रकार उपयोग होता है लेकिन वह यह धन उद्योगपतियों को दे रहे हैं। मैं इन ट्रस्टों के विरुद्ध नहीं हूं। इस धन का प्रयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाए ताकि इन्हें एकाधिकारियों या उद्योगपतियों को दिया जाए। इन ट्रस्टों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कठोर उपबन्ध किए जाने चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति अपनी आय छिपाता है और उसका पता चल जाता है तो जनता को उस बारे में बताना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोग उसका सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। जिस व्यक्ति के जिम्मे आय-कर की लाखों रुपये की राशि बकाया हो, वह किसी बड़े उद्योग अध्यक्ष बन सकता है अथवा किसी ऐसी बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, जहां के लिये प्रधान मंत्री को भी बुलाया गया हो। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की महानतम महिला हैं। उनके अंदर महानतम कार्य करने का साहस है। उनके अंदर काले धन को बाहर निकालने हेतु कानून बनाने का साहस है। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि वे काले धन का पता लगाने के लिये क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं?

[श्री एस० एम० बनर्जी]

आयकर अधिकारियों से जयपुर के महलातों की तरह ही कुछ और छापे डालने के लिए कहा जाना चाहिये ।

मुझे समाचारपत्रों में यह समाचार पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि दिल्ली तथा कुछ अन्य महानगरों के कुछ बड़े बड़े वैभवशाली घरों में भी छापे डाले गये हैं और बहुमूल्य सम्पत्ति का पता लगाया गया। मुझे इस बात का पता भी लगा है कि गोल्फ लिंक्स में एक माननीय सदस्य ने पांच लाख रुपये मूल्य की इमारत खरीदी है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि एक संसद सदस्य पांच लाख रुपये की सम्पत्ति कैसे जुटा सकता है। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिये ।

बम्बई में ऊंची ऊंची इमारतें बनाये जाने के सम्बन्ध में भी जांच होनी चाहिये। इन बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने वाले लोग कौन हैं। प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष को बम्बई, कलक-., तथा अन्य स्थानों के बड़े बड़े घरों में भी छापे डालने चाहिये।

काले धन का पता लगाने के लिये अभी बहुत कुछ किया जाना है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

**श्री एस० आर० दामाणी** (शोलापुर) : वांचू समिति ने भी इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रवर समिति ने इस विधेयक पर 1 1/2 वर्ष तक विचार किया है। अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने समिति के सामने साक्ष्य दिये। प्रवर समिति की सभी सिफारिशों का समावेश विधेयक में किया गया है।

मेरे माननीय मित्र श्री एस० एम० बनर्जी ने एक ओर तो हर बड़े गृह पर छापा मारने की बात कही है और दूसरी ओर वे आयकर अधिकारियों को दी गयी अधिक शक्तियों का विरोध कर रहे हैं।

करदाताओं तथा जनता के मन में भय का बना रहना बहुत ही जरूरी है। इसी भय के फलस्वरूप प्रत्यक्ष कर बोर्ड गत वर्ष 250 करोड़ रुपये की राशि एकत्र करने में सफल हो सका है। लोगों के मन में यह भय बना रहना जरूरी है कि यदि वे कर का अपवंचन करेंगे तो उसे जुर्माना ही नहीं देना पड़ेगा ाल्कि जेल भी जाना पड़ेगा। विधेयक का उद्देश्य इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही करना है।

यदि कोई अपनी असली आय बताना चाहता है तो उसे समझौता समिति के माध्यम से ऐसा करने का अवसर भी दिया जायेगा ताकि वह इस विधेयक के प्रावधानों से बच सके। मेरे विचार में इस विधेयक के प्रावधानों द्वारा कर अपवंचन को काफी मात्रा में कम करने के लिये सहायता मिलेगी।

समझौता आयोग के गठन के बारे में भी विधेयक के आलोचकों ने कहा है कि इसका उद्देश्य भी बड़े बड़े कर अपवंचन करने वाले लोगों को बचाना है। इस आयोग का अध्यक्ष तथा सभापति अनुभवी तथा निष्पक्ष लोग होंगे जो न्यायधीशों की तरह ही न्याय करेंगे। लेकिन इन माननीय मित्रों का उद्देश्य तो केवल आलोचना ही करना है ।

लोकोपकारी न्यासों के बारे में भी चर्चा की गयी है। इस विधेयक के अन्तर्गत अब कम्पनियों के शेयरों में राशि नहीं लगायी जा सकेगी। जिन ट्रस्टों ने कम्पनियों के शेयर खरीद रखे हैं उन्हें मतदान

का कोई भी अधिकार नहीं होगा । ये अधिकार सरकार के ही पास रहेंगे । इसके बाद ट्रस्ट कम्पनियों के शेयरों में राशि नहीं लगा सकेंगे । लोकोपकारी ट्रस्टों की राशियों का उपयोग सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के हो अनुसार किया जायेगा । वे अपनी राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में लगा सकते हैं । यह सब होने के बावजूद भी हमारे मित्र आलोचना कर रहे हैं ।

आयकर छूट की स्कीम 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दी गयी है जिसके फल स्वरूप सात लाख करदाता कम हो गये हैं । अब आयकर अधिकारी बड़े बड़े करदाताओं की ओर अधिक ध्यान दें सकेंगे ।

800 रुपये कर की बकाया राशि के कारणों का पता लगाया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में व्यक्ति वार तथा वर्ष वार ब्योरा प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध किया जाना चाहिये ।

आयकर अधिकारियों को आयकर के आंकडे तैयार करने सम्बन्धी जो कार्य सौंपा गया है, उसे वापस लिया जाना चाहिये ताकि वे कर निर्धारण कार्य की ओर अधिक ध्यान दे सके ।

मुझ आशा है कि वित मंत्री आयकर अधिकारियों की समस्याओं और सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान देंगे ।

श्री वाई० एम० महाजन (बलडाना) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । संयुक्त प्रवर समिति ने इस विधेयक की पूरी छानबीन की है और उचित संशोधनों का सुझाव दिया है ।

विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी सभी कानूनों में संशोधन करना है ।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए]

**Shri C. M. Stephen in the Chair**

प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी हमारी नीति प्रगतिशील रही है । कर सम्बन्धी उच्चतम दर 95.75 प्रतिशत तक पहुंच चुका है जो सचमुच हमारी प्रगतिशील नीति का प्रतीक है । हमारी नीति का उद्देश्य विकास कार्यों के लिये अधिक राशि जुटाना तथा आय सम्बन्धी असमानता को दूर करना है । यद्यपि हाल के वर्षों में आय में वृद्धि हुई है, फिर भी कर नीति के उद्देश्य अकुशल प्रशासनिक मशीनरी के कारण सफल नहीं हो सके जिसके फल स्वरूप बड़े पैमाने पर कर अपवंचन होने लगा और कर अपवंचन करने वालों के पास काला धन जमा होने लगा । आयकर विभाग में हजारों कर्मचारी और अधिकारी होने के बावजूद भी वर्ष 1973–74 के दौरान केवल 103 करोड़ रुपये की राशि का कर एकत्र हो सका है ।

इस विधेयक का उद्देश्य कर अपवंचन तथा काले धन की समस्या का समाधान करना तथा प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करना है । मुझे इन उद्देश्यों को इस विधेयक द्वारा पूरा करने के बारे कोई भी संदेह नहीं है ।

लोकोपकारी तथा धार्मिक संस्थाओं के बारे में काफी चर्चा हुई है । संशोधित विधेयक में की गयी व्यवस्था द्वारा ट्रस्टों की निधि के दुरुपयोग पर रोक लग जायेगी ।

व्यापारी तथा पूंजीपति के इलावा कानून, चिकित्सा, इन्जीनियरिंग आदि व्यवसाय में लगे भी कर अपवंचन करते हैं जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

[श्री वाई० एस० महाजन]

कर अपवंचन सम्बन्धी दंड के प्रावधान झगड़ां तक ही सीमिति रहे हैं। जब तक कर विभाग सक्रिय होकर अधिनियम के प्रावधानों को उत्साह के साथ कार्यान्वित नहीं करता उस समय तक हमारी कर प्रणाली अच्छे परिणाम नहीं दिखा सकती। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**Shri Ramavatar Shastri** (Patna): This Bill seeks to amend four Acts relating to taxation laws.

The Objectives of the Bill are very good but administrative machinery for implementing all these laws is corrupt from top to bottom. Black money and tax arrears worth crores of rupees are the main problems confronting us. We should streamline our administrative machinery so that flow of black money could be checked and tax evasion detected. There is no provision in any of the taxation laws and also this legislation of penalising the corrupt officers responsible for tax evasion. The hon. Minister should pay attention and take necessary action in this matter.

I agree with the penalty being proposed under this Bill. The provisions of the Bill should be enforced vigorously and defaulters should be dealt with under DIR and MISA.

Ours is a predominantly religious country and crores of rupees lying with the temples, churches and gurdwaras are exempt from tax. This money is misused in the name of religion and therefore the very purpose of giving tax exemption to these religious organisations and institutions is defeated. Some religious organisations in my state are demanding exemption from ceiling laws. These demands should not be met because the vested interests will take undue advantage from such loopholes in the law. With these words I support the Bill.

**श्री डी० डी० देसाई** (कैरा) : टैक्स स्लैब में कमी करने के फलस्वरूप कर से होने वाली आय में वृद्धि हुई है।

आय साधन जुटाने के अनेक उद्देश्य हैं जिनमें से एक उद्देश्य विकास के लिये राशि जुटाना है और दूसरा असमानताओं को दूर करना है। मैं अनुभव करता हूं कि हमारी बहुत सी आय का अपव्यय होता है जिससे मुद्रास्फिति की प्रवृत्तियां भी बढ़ती हैं। इन सब बातों को सुचारू रूप से चलाने के लिये आपातकालीन स्थिति का लाभ उठाया जाना चाहिये।

हमें बचत की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। वित्त मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि बचत और पूंजीनिवेश के लिये उचित व्यवस्था हो। इस वर्ष वर्षा अच्छी होने की आशा है और हमें इस बीच उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये।

कृषिक कराधान की भी चर्चा की गई है। हमने भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित कर ही रखी है। जिस ढंग से मूल्यों में गिरावट आई है उससे किसानों की आय में कमी हुई है। फिर खेतों में खाद डालने, औजार खरीदने तथा किसान परिवार द्वारा खून-पसीना एक करने के बाद जो कुछ बचता है उससे सही स्थिति का पता चल सकता है। हम अनाज का आयात नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे कारखाने ठीक ढंग से चलें। अतः इस समय हमें किसानों पर कर लगाने के बारे में नहीं सोचना चाहिये। वैसे अप्रत्यक्ष कर किसान भी अब नागरिकों की भांति देता ही है। प्रत्यक्ष कर लगाने से किसान निरुत्साहित होगा। उनका बोझ बढ़ाने के लिये हमें प्रयास नहीं करना चाहिये।

गुजरात और महाराष्ट्र में धर्मार्थ न्यास बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें उनका और मार्ग दर्शन करना चाहिये। लेकिन धर्मार्थ न्यास का उद्देश्य अच्छा होने पर भी उसमें लगे बहुत से व्यक्ति न्यास धन का दुरुपयोग करते हैं। यह रोका जाना चाहिये। लेकिन न्यास स्थापित करने के उद्देश्य को ध्यान में रख कर इस दिशा में प्रयत्न किये जाने चाहियें।

पूंजीगत उपकरणों को बदलने की लागत मुद्रास्फीति के कारण बहुत बढ़ गई है। 10 वर्ष पुराने उपकरणों को बदलने के लिये 100 प्रतिशत लागत अधिक देनी पड़ती है। एक ओर सरकार परिसम्पत्ति का पुर्नमुल्यांकन करना चाहती है दूसरी ओर पुराने माल की टुट-फूट बढ़ती जाती है। इस प्रकार औद्योगिक एकक रुग्ण हो जायेगा और फिर सरकार उसे संभाल लेगी। सरकार को भी रुग्ण कारखानों को संभालने में काफी धन व्यय करना पड़ता है अतः इस सम्बन्ध में कोई रास्ता निकाला जाये।

आर्थिक अपराधों से सम्बन्धित मामलों को न्यायालयों में ले जाने पर प्रतिबंध लगाने की बात सोची जा रही है। लेकिन नौकरशाही प्रायः अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाती हैं। तब न्यायालय ही उचित न्याय कर पाते हैं। यदि आप यह अधिकार छीन लेंगे तो नौकरशाही और भी अधिक भ्रष्ट हो जायेंगी।

काले धन की समस्या सुलझाने के लिये वांचू समिति ने अपने प्रतिवेदन में विस्तार से चर्चा की है जब तक हम कराधान प्रणाली में सुधार नहीं करते और काले धन को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों को समाप्त नहीं करते तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। सरकार को काले धन का उपयोग देश की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने और अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिये करना चाहिये।

**वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : इस विधेयक पर यहां सीमित रुप से ही चर्चा हुई है। वैसे आय कर तथा तत्सम्बद्ध विषयों पर हर वर्ष वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान बातचीत होती है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, प्रवर समिति ने प्रत्येक प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है और उसी आधार पर विभिन्न प्रस्ताव तैयार करके इस विधेयक को लाया गया है। मैं यह कहने को तैयार नहीं कि इस विधेयक के पास होने से सब कुछ ठीक हो जायेगा कुछ न कुछ त्रुटियां तो रह ही जाती हैं। हमें स्थिति पर लगातार विचार करते रहना है। जैसे ही हमें त्रुटियो का पता चलेगा हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे।

हम वर्तमान कराधान ढांचे में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों कि ऐसा करना संभव नहीं है। अतः वर्तमान ढांचे को भली भाति जांच हाल ही में वांचू समिति द्वारा की गई है और उसी आधार पर ये प्रस्ताव तैयरा किये गये हैं। कुछ सहयोगियों द्वारा दिये गये सुझावों पर भी विचार किया गया और तभी हमने कुछ निर्णय लिये हैं। काले धन की बढ़ रही मात्रा पर भी स्वाभाविक तौर से चिन्ता व्यक्त की गई है। यह समानांतर अर्थ व्यवस्था राष्ट्र के जीवन को नष्ट कर रही है। श्री बनर्जी ने बताया है कि 17,000 करोड़ या 20, 000 करोड़ रुपये की काल सम्पदा बाजार में चल रही है। इस काले धन से सम्पत्ति शेयर आदि खरीदे जा रहे हैं। काला धन की मात्रा तो सीमित ही है लेकिन यह काली सम्पदा बढ़ती ही जा रही है। हमें काले धन और काली सम्पदा में भेद करना पड़ेगा। हम उन स्त्रोतों का पता लगाना है जिनके द्वारा काला धन पनपता है और वे कौन से स्थान हैं जहां इसका निवेश किया जाता है। तथ्य यह है कि महानगरों, नगरीय क्षेत्रों आदि में सम्पत्ति

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

की खरीद के रूप में इस धन का उपयोग किया जाता है। कुछ धन व्यापार में और अन्य के साथ चलचित्र गृह, गोदाम, व्यापारिक संस्थान आदि खोले जाते हैं। इसी कारण हमने 4 महानगरों में हाल ही में बनायी गई बड़ी बड़ी इमारतों का मूल्यांकन करने के लिये विशेष दस्तों का गठन किया है। उन के मालिकों के पास पैसा कहां से आया और क्या उसका उचित लेखा रखा गया है? इसके कुछ आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होने की आशा है।

इसके अतिरिक्त हमें यह देखना है कि काले धन से जमाखोरी, कारखानों के बहुत अधिक शेयर खरीदना आदि कार्य कहां कहां किये जा रहे हैं। इन उपायों से काले धन का पता चल पायेगा।

अतः यह कहना कि कराधान में कमी की जाये ताकि कर अपवंचन का आकर्षण कम हो सके। जब तक काले धन के निवेश से और धन कमाने का प्रलोभन बना रहेगा तब तक काले धन का आकर्षण कम नहीं हो सकता। अतः हमारी अर्थ व्यवस्था में इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। त्रुटियों को दूर करना होगा काले धन के निवेश को रोकना होगा।

इसके अतिरिक्त हमें काले धन के स्रोतों को भी समाप्त करना है। अवैध सौदे एक बड़ा स्रोत है। ये अवैध स्रोत ही तस्करी काला बाजारी और भ्रष्टाचार है। दूसरा क्षेत्र वह है जहां पहले वैध सौदे किये गये थे लेकिन कर अपवंचन के कारण यह काला धन हो गया क्योंकि उसे खातों में नहीं दिखाया गया है।

संशोधन करने वाले वर्तमान विधेयक द्वारा प्रशासन को कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिससे काले धन के स्रोत और उसके पनपने पर काबू पाया जा सकता है। यदि काला धन बनता भी है तो उसके लिये निवेश के सारे रास्ते बंद कर दिये जायेंगे। लेकिन इन भ्रष्ट तारीकों को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय सामजिक चेतना है।

आज कर अपवंचक भी उतना ही सम्मानीय है जितना कोई अन्य नागरिक। एक चोर, डाकू कर अपवंचक और काला बाजार करने वाले तथा सामान्य नागरिक में कुछ तो अन्तर होना चाहिये। मेरे विचार से कर अपवंचक जैसे समाज विरोधी तत्व सबसे अधिक हानिकारक हैं। अमेरीका जैसे पूंजीवादी देश में भी जहां लोग कई प्रकार के समाज विरोधी कार्य पर भी कई बार विधि के चुंगल से निकल जाते हैं पर कर जाल की पकड़ से वे नहीं बच पाते। उन्हें लम्बी-लम्बी सजाएं दी जाती हैं। लेकिन हमारे देश में कर अपवचन को गम्भीर अपराध नहीं माना जाता।

यहां भी कठोर दंड दिये जाने चाहिये। जितना अधिक व्यक्ति धनवान हो उसे उतनी ही भारी सजा दी जाये क्योंकि जब पहले ही उसके पास पर्याप्त धन है तो वह कर अपवंचन की गलतियां क्यों करता जाये। एक गरीब तो डबलरोटी या ऐसी ही छोटी मोटी चीज चुरायेगा लेकिन अमीर तो करोड़ों रुपये का हेर फेर करते हैं।

हमें काले धन की पूरी जानकारी है और हमें उसे बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारा आय कर विभाग ही भ्रष्ट है। कुछ लोग बेईमान अवश्य हो सकते हैं। ऐसे लोग तो हर जगह मिल जायेंगे। इसलिये हमें सावधानीपूर्वक कार्य करना है। हम समय समय पर अधिकारियों से मिलते हैं और हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि सभी आयुक्त कम से कम एक बार

अवश्य मिल कर इस बात पर चर्चा करें कि किसने किस प्रकार किस विशेष समस्या का सुलझाया है ताकि एक दूसरे के अनुभव का लाभ उठाया जा सके। उनकी समस्याओं की भी जानकारी हो सकेगी। हम चाहते हैं कि प्रत्येक विभाग के अधिकारियों की ऐसी बैठकें हों। इस बारे में मैंने अपने सहयोगियों से बात की है और निदेश दिये जा रहे हैं।

एक बात और भी कही गई है कि केवल 27,000 लोग भारत में ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख रुपये से अधिक है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन का लगातार अध्ययन किया जाना जरुरी है। कौन लोग कर अपवंचन करते हैं इस आधार पर हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम पेशेवर लोगों की आय का सर्वेक्षण कर रहे हैं। क्योंकि कि वे सामान्यतया आय कर अधिनियम की परिधि से बच निकलते हैं। वकील डाक्टर, लेखाकार, परामर्शदाता, वास्तुविज्ञ आदि आय का हिसाब लगाने के लिये सर्वेक्षण कर रहे हैं। इतने अच्छे पेशे अपनाने के बावजूद वे लोग कर नहीं देते। हम न्यासोंके विरुद्ध भी नहीं है लेकिन जब न्यास-निधि का दुरुपयोग होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये उसका प्रयोग होता है तो इस के लिये अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी लिये हम इस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं कि एसे धन का निवेश किस प्रकार करते हैं जहां तक न्यास में शेयर खरीदने की बात है हमने प्रवर समिति की सिफारिशों के बावजूद यह निर्णय लिया है कि यदि उन्होने शेयर खरीदने हैं तो केवल सरकारी कम्पनियों के ही खरीदें। यह प्रवर समिति का अपमान नहीं है। क्योंकि जब मैंने विस्तार पूर्वक मामले की जांच की तो पता चला कि हम एक बहुत बड़ी भूल कर जायेगें। इसी लिये हम यह संशोधन लाये हैं।

दुर्भाग्य से भगवान के नाम पर सबसे अधिक धोखाधड़ी की जाती है। भगवान के नाम पर कर अपवंचन होता है, विभिन्न सौदों द्वारा अवैध लाभ कमाया जाता है। न्यास यदि धर्म का नाम लेकर धोखा करते हैं। धर्म के नाम पर अपार सम्पदा एकत्र की जाती है तब सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस पर भी हमने अधिक कठोरता नहीं बरती यदि वे निर्धारित मूल्यों और माप–दण्ड के अनुसार चले तो हम उनके मार्ग में नहीं आयेंगे। लेकिन धर्म का अनुचित लाभ उठाये जाने का हम विरोध करते हैं।

यही कुछ मुख्य बातें हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस दिशा में लगातार सतर्कता की आवश्यकता है। हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या वर्तमान ढांचा उचित है। विशेषज्ञों के कुछ निकाय भी इस मामले को देख रहे हैं। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार ढाचे को बदलने में झिझकेगी नहीं। मेरा विश्वास है कि इस विधेयक को माननीय सदस्यों के सहयोग से पास कर दिया जायेगा।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 धन कर अधिनियम, 1957 दान-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**The motion was adopted**

**सभापति महोदय** : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे ।

खंड 2 पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**The motion was adopted**

खंड 3

**सभापति महोदय** : खंड 3 पर दो सरकारी संशोधन संख्या 10 और 11 हैं ।

संशोधन किये गये :

Amendment made:

पृष्ठ 2,

पंक्ति 30 के स्थान पर यह **प्रतिस्थापित** किया जाये :—

"या समूचे राज्य अथवा राज्यों में" या

"(पांच) कोई भी न्यास (किसी अन्य कानूनी दायित्व सहित ) या संस्थान, जो पूर्ण रुप से सार्वजनिक धार्मिक कृत्यों या पूर्ण रूप से सार्वजनिक धार्मिक या धर्मार्थ कृत्य सम्बन्धी न्यास या संस्थान है और जिसके कार्य संचलान और यह सुनिश्चित करने के लिये कि उस न्यास या संस्थान से होने वाली आय उचित प्रयोजनार्थ व्यय की जा रही है, निरीक्षण करने सम्बन्धी प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की गई है ।"

"or throughout any State or States; or

(v) any trust (including any other legal obligation) or institution, being a trust or institution wholly for public religious purposes or wholly for public religious and charitable purposes, which may be notified by the Central Government in the official Gazette, having regard to the manner in which the affairs of the trust or institution are administered and supervised for ensuring that the income accruing thereto is properly applied for the purposes thereof:" (10)

पृष्ठ 2, पंक्ति 32. —

"इस उप-खंड" **के स्थान** पर यह **प्रतिस्थापित** किया जाये—

"उप खण्ड (चार) या उपखण्ड (पांच)"

[*Sub-Clause (iv) or Sub-Clause (v)*] (*ii*)

(श्री सी० सुब्रहमण्यम)

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**The motion was adopted.**

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

*Clause 3 as amended, was added to the Bill.*

खण्ड 4 विधेयक में जोड दिया गया ।

*Clause 4 was added to the Bill.*

खण्ड 5

**संशोधन किया गया** :

1. पृष्ठ 5, पंक्ति 36 से 48 और पृष्ठ 6, पंक्ति 1 से 35 के **स्थान** पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये–

"(5) उपधारा (i) के खण्ड (घ) में उल्लिखित निधियों को जमा कराने या निवश करने का रूप और ढंग –

(क) खण्ड (ख) के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे मामले में जहां ऐसी निधियों का सम्बन्ध मूल न्यास या संस्थान से है या न्यास अथवा संस्थान को इस विशिष्ट हिदायत के साथ राशि दी गई है कि वह न्यास अथवा संस्थान के निकाय का ही एक भाग होगी;

(एक) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 2 के खण्ड (ग) में परिभाषित बचत पत्रों में निवेश या सरकार की छोटी बचत योजनाओं के अधीन सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां या बचत पत्र;

(दो) डाकधर बचत बैंक में किसी खाते में जमा राशि;

(तीन) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में किसी खाते में जमा राशि अर्थात बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अतंरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित किसी नये बैंक में;

(चार) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित यनिट ट्रस्ट आंफ इण्डिया के एककों में निवेश;

(पांच) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में धन पैदा करने के उद्देश्य से किया गया निवेश;

(छः) किसी कम्पनी अथवा निगम द्वारा या उनके नाम स जारी किये गये ऋणपत्र जिनके मूलधन तथा ब्याज के बारे में केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा पूरी गारंटी दी गई हो;

(सात) कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में दी गई परिभाषा के अनुसरण में किसी सरकारी कम्पनी में किया गया निवेश या जमा राशि ;

(ख) ऐसे मामले जिनमें ऐसी राशियां निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करती हैं :–

(एक) प्रथम जून, 1973 से तुरंत पूर्व न्यास या संस्थान का निकाय; या

(दो) प्रथम जून, 1973 को अथवा उसके बाद स्थापित या बनाया गया कोई न्यास या संस्थान का मूल निकाय (नक़दी के अतिरिक्त आस्तियां); अथवा

(तीन) प्रथम जून, 1973 को या उसके बाद किसी न्यास या संस्थान को, इस विशिष्ट हिदायत के साथ कि वह निकाय या संस्थान का भाग होगी, दिया गया अंशदान (नकदी के अतिरिक्त),

किसी कम्पनी [कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 7 में पारिभाषित कोई कम्पनी नहीं और न ही केन्द्रीय राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित कोई निगम] में शेयरों में निवेश (निर्धारित दर के लाभांश वाले शेयर नहीं चाहे उनका आगे लाभ में भाग हो या न हो) के अतिरिक्त निवेश का रूप या ढंग;

(ग) किसी मामले में खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) उपखंड (दो) उपखंड (तीन) और उपखंड (चार) में उल्लिखित रूप या ढंग से ।

(6) उपधारा (1) के खंड (घ) में निहित कोई बात धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ख) में उल्लिखित ढंग से जमा की गई, पूरी तरह अलग रखी गई, निवेशित राशि पर लागू नहीं होगी ।"

(श्री० सी० सुब्रह्मण्यम)

"(5) The forms and modes of investing or depositing funds referred to in clause (d) of sub-section (1) shall be—

(a) Subject to the provisions of clause (b), in a case where such funds represent the original corpus of the trust or institution or any contributions made to the trust or institution with a specific direction that they shall from part of the corpus of the trust or institution.

(i) investment in savnigs certificates as defined in clause (c) of section 2 of the Government Savings Certificates Act, 1959, (46 of 1959) and any other securities or certificates issued by the Central Government under the small savings schemes of that Government;

(ii) deposit in any account with the Post Office Savings Bank;

(iii) deposit in any account with any nationalised Bank, that is to say, any corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);

(iv) investment in units in the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963);

(v) investment in any security for money created and issued by the Central Government or a State Government;

(vi) investment in debentures issued by, or on behalf of, any ocmpany or corporation both the principal whereof and the interest whereon are fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or by a State Government;

(vii) investment or deposit in any government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(b) in a case where such funds represent—

(i) the corpus of the trust or institution immediately before the 1st day of June, 1973; or

(ii) the original corpus (being assets other than cash) of any trust or institution created or established on or after the 1st day of June, 1973; or

(iii) any contributions (otherwise than in cash) made to any trust or institution on or after the 1st day of June, 1973, with a specific direction that they shall form part of the corpus of the trust or institution,

any form or mode, other than investment in shares (not being shares entitled to a fixed rate of dividend whether with or without a further right to participate in profits) in a company [not being a Government company as defined in section 17 of the Companies Act 1956 (1 of 1956) or a corporation established by or under a Central, State or Provincial Act];

(c) in any other case, the forms or modes referred to in sub-clause (i), sub-clause (ii), sub-clause (iii) and sub-clause (iv) of clause (a).

(6) Nothing contained in clause (d) of sub-section (1) shall apply in relation to any monies accumulated or finally set apart and invested or deposited in the manner referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 11."

(Shri C. Subramaniam)

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*The motion was adopted.*

**खंड 5, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।**

*Clause 5, as amended, was added to the Bill.*

**खंड 6 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।**

*Clause 6 to 10 were added to the Bill.*

**खंड 11**

**संशोधन किया गया :**

(2) पृष्ठ 8, पंक्ति 28 "44ख" ["44"] **के स्थान पर** "44कक" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

"44 AA" (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (2)

**सभापति** महोदय: प्रश्न यह है :

"खण्ड", संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

**खंड 11, संशोधित रूप में विधेयक म जोड़ दिया गया।**

*Clause 11, as amended, was added to the Bill.*

**खंड 12 से 23 विधेयक में जोड़ दिये गये।**

*Clauses 12 to 23 were added to the Bill.*

**खंड 24**

**संशोधन किया गया :**

पृष्ठ 13, पंक्ति 27—29 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये —

'(दो) "धारा 80 ज, धारा 80जज, धारा 80 ञ और धारा 80 ञञ के अन्तर्गत कटौतियां" शब्दों, अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर "धारा 80 जज, धारा 80 ञ, और धारा 80 ञञ के अन्तगत कटौतियां" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किये जायेंगे।'

'(ii) for the words, figures and letters "deductions under section 80H, section 80 HH, section 80J and section 80JJ", the words, figures and letters "deductions under section 80HH, section 80J and section 80JJ" shall be substituted. (5)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

**"खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

**खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।**

*Clause 24, as amended, was added to the Bill.*

**खंड 25 से 27 विधेयक में जोड़ दिये गये।**

*Clauses 25 to 27 were added to the Bill.*

**खंड 28**

**संशोधन किये गये :**

पृष्ठ 14, पंक्ति 17 में, "निम्नलिखित खण्ड" [The following clause] **के स्थान पर** "निम्नलिखित खण्डों" [The following Clauses] **प्रतिस्थापित किया जाये।** (4)

पृष्ठ 14, पंक्ति 22 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाये।**

'(एक ख) "परामर्शदात्री सेवा कम्पनी" का अर्थ है एक ऐसी भारतीय कम्पनी जिसका कारोबार तकनीकी जानकारी के प्राविजन में पूर्णतः आता है, अथवा अन्य व्यक्तियों को तकनीकी जानकारी के प्रोविजन से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करता है।

**स्पष्टीकरण**—इस खण्ड में और खण्ड (तीन) के उपखण्ड (3) में "तकनीकी जानकारी के प्रोविजन" शब्दांश के अर्थ वह है जो धारा 80 डड की उपधारा (2) में दिया गया है।'

'(ib) "consultancy service company" means an Indian company whose business consists wholly in the provision of technical know-how, or in the rendering of services in connection with the provision of technical know-how, to other persons.

*Explanation.*—In this clause and in sub-clause (3) of clause (iii), the expression "provision of technical know-how" has the meaning assigned to it in sub-section (2) of section 80MM;".

पृष्ठ 14, पंक्ति 26 में "औद्योगिक कम्पनी के मामले में" [In the Case of an industrial Company] के स्थान पर "औद्योगिक कम्पनी अथवा परामर्शदात्री सेवा कम्पनी" [in the case an industrial company or a consultancy service company] **प्रतिस्थापित** किया जाये । (6)

पृष्ठ 14, पंक्ति 35 से 40 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित करें** ।

"एक भारतीय कम्पनी के मामले में जो एक औद्योगिक कम्पनी अथवा एक परामर्शदात्री सेवा कम्पनी नहीं है और जिसकी सकल आय एक भाग वह लाभ है जो तकनीकी जानकारी के प्राविजन के कारोबार के कारण अथवा अन्य व्यक्तियों के तकनीकी जानकारी के प्राविजन के सम्बन्ध में सेवाएं प्रदान करने के कारण, अथवा समुद्री जहाज बनाने के कारण अथवा सामान के उत्पादन अथवा परिष्करण के कारण अथवा खनन के कारण अथवा बिजली अथवा अन्य किसी प्रकार की विद्युत के उत्पादन अथवा वितरण के कारण है—"।

"in the case of an Indian company, not being an industrial company or a consultancy service company, a part of whose gross total income consists of profits and gains attributable to the business of provision of technical know-how, or of rendering services in connection with the provision of technical know-how, to other persons, or of construction of ships or of manufacture or processing of goods or of mining or of generation or distribution of electricity or any other form of power". (7)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

*The motion was adopted.*

**खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

*Clause 28, as amended, was added to the Bill.*

**खंड 29 से 61 विधेयक में जोड़ दिए गये ।**

*Clauses 29 to 61 were added to the Bill.*

खंड 62

**किया गया संशोधन :**

8. पृष्ठ 41, पंक्ति 43 में "धारा 44 ख" [Section 44 B] के स्थान पर "धारा 44 कक" [Section 44AA]. प्रतिस्थापित किया जाये ।

(8)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 62 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

*The motion was adopted.*

**खंड 62, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

*Clause 62, as amended, was added to the Bill.*

**खंड 63 से 78 विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

*Clauses 63 to 78 were added to the Bill.*

खंड 79

**किया गया संशोधन :**

पृष्ठ 51, पंक्ति 3 में "धारा 44ख" [Section 44 B] के स्थान पर "धारा 44 कक" [Section 44 AA] प्रतिस्थापित किया जाये ।

(9)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 79 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

*The motion was adopted*

**खंड 79, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

*Clause 79, as amended, was added to the Bill.*

**खंड 80 से 125 विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

*Clauses 70 to 125 were added to the Bill.*

**खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।**

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम् :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

**Shri Sarjoo Pandey** (Ghazipur): The hon. Minister has stated that Income-tax authorities are presenting exaggerated picture of corruption. All officers are not corrupt. Steps should be taken to apprehend corrupt employees and punishment awarded to them. I have brought to the notice of the hon. Minister a case pertaining to an employee of income tax department who has given exemption from tax to big persons of Bombay. This case must be investigated into.

Some people have collected money in the name of religion. These religious persons do not pay tax and get money through illegal means. Action must be taken against them.

Government must take strict action against the tax evaders. It should not remain satisfied by arresting small people. Steps should be taken to confiscate the property of big smugglers. In case there are certain shortcomings in the existing laws, they should be removed.

Hence I support the Bill and hope that corrupt persons whether they are officers or leaders will be apprehended and action taken against them.

**श्री डी० एन० तिवारी :** (गोपालगंज) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । कुछ विदेशी कम्पनियों ने जो रिटर्न भेजे हैं उनमें अधिकांशतः हानि दिखाई गई या बहुत कम लाभ दिखाया गया है । होता यह है कि उनका व्यापार यहां पर चलता है और वे अपना सारा लाभ अपने मुख्यालयों को भेजती हैं । अधिकांश कम्पनियां नियमित रूप से रिटर्न नहीं भेजतीं । कुछ ने 1972 तक, कुछ ने 1974 तक भेजी हैं और कुछ ने भेजी ही नहीं । ये कम्पनियां सभी व्यय को यहां दिखाती हैं और केवल घाटा अथवा बहुत कम लाभ दिखाती हैं । इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये । यदि उचित कदम उठाये जायें तो इन कम्पनियों से कर की बहुत राशि वसूल की जा सकती है ।

रिजर्व बैंक भी इनके कार्यकरण पर निगरानी रखता है । उन के यहां पर रजिस्ट्रेशन अथवा व्यापार करने अथवा विदेशी मुद्रा देने के मामले में रिजर्व बैंक को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया ? अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इन कम्पनियों पर निगरानी रखी जाये और उनपर देय कर की राशि वसूल की जाये ।

**श्री वसंत साठे :** (अकोला) मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । आपात स्थिति के इस बर्तमान वातावरण में अब यह भय हो गया है कि अब सरकार कुछ करके ही छोड़ेगी । बेहिसाब धन सरकार की नजरों से अब बच नहीं सकता । इससे उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे निवेश योग्य संसाधनों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा । सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये कि क्या काला धन बाहर निकालने हेतु धनाढ्य व्यक्तियों के साथ पैकेज समझौता करना उचित है । मानलो कि एक व्यक्ति ने एक लाख रुपया बाहर निकाला है तथा उसके पास 2 लाख रुपये और हैं जिसका

[श्री वसंत साठे]

उसने कोई उल्लेख नहीं किया है । उसे यह कहना चाहिये कि यदि वह 50 प्रतिशत रुपया जमा कराता है तो शेष 50 प्रतिशत रुपया श्वेत राशि में परिवर्तित हो जायेगा । सरकार को उससे उस धन का हिसाब नहीं पूछना चाहिये । उसे यह कहना चाहिये कि उस धन को सरकार की इच्छानुसार लगाया जाये । विमुद्रीकरण की भांति इस पैकेज कार्यक्रम से हमें धन की प्राप्ति हो सकती है । इस प्रकार उद्योगों को हानि नहीं होगी । ऐसे कदम उठाने से कुछ लाभ हो सकता है । अतः कर विभाग को कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ।

**श्री के० नारायण राव :** (बोबिली) : कर अपवंचकों को न्यायालयों द्वारा दी गई राहत के बारे में हम सुनते आ रहे हैं । किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि के कारण न्यायालय उन्हें राहत दे देते हैं । मेरे विचार में हमारी प्रणाली ठीक नहीं है । जहां तक आयकर कानून तथा प्रथाओं का सम्बन्ध है उन्हें तो वकील तक ठीक से नहीं समझ पाते हैं अतः अब समय आ गया है जब कि हम इन कानूनों को स्पष्ट बनाने की बात सोचें ताकि कर की चोरी करने वालों की रक्षा करने के लिए न्यायालयों के पास कोई बात न रहे ।

**वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :** श्री सरजू पांडे ने एक अधिकारी के मामले का उल्लेख किया है । इस मामले की जांच की गई है । वह एक श्रेष्ठ अधिकारी है । एक कठोर अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाना हमेशा आसान बात रही है ।

जहां तक छिपे धन का पता लगाने का सम्बन्ध है, निपटारे के प्रक्रिया के बारे में एक नया उपबन्ध किया गया है । यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है और वह अपनी आय बताना चाहता है तो ऐसी स्थिति में यह अत्यन्त आसान प्रक्रिया रहेगी । उसकी कार्यवाही अन्तिम होगी । इसके विरुद्ध कोई अपील भी नहीं की जा सकती । इसके लिए सम्भवतः यह श्रेष्ठ तरीका है । हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि हम निबटारे की प्रक्रिया में मार्गदर्शी सिद्धान्त कैसे लागू कर सकते हैं जिससे लोगों को अपनी लेखाबाह्य परिसम्पत्तियों या कर अपवंचित आय बताने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा ।

विदेशी कम्पनियों तथा मुख्यालय व्यय का उल्लेख किया गया है । मुख्यालय व्यय के रूप में असीमित धन बाहर नहीं भेजा जा सकता । इसके लिए फ़ार्मूला बनाया हुआ है । जहां तक उनके द्वारा नियमित रूप से रिटर्न न भरे जाने का सम्बन्ध है, इस मामले की जांच की जायेगी ।

कानून की जटिलता के बारे में कहा गया है । निःसन्देह यह कुछ जटिल है लेकिन अब हमने इसे सरल बनाने का प्रयास किया है । परन्तु, खेद है कि हमने इसमें कई छूट दी हैं और हमें इस पर कुछ अधिक सावधानी से काम लेना है क्योंकि इससे इन्हें समझना कुछ अधिक जटिल और कठिन हो गया है । परन्तु यदि हम एक बार उस आधार को समझ लें, जिस पर कि यह छूट दी गई है, तो उसके औचित्य को समझना आसान हो जायेगा । जनसाधारण के लिए हमारे पास प्रकाशन हैं जिनमें रिटर्न भरने के बारे में तथ्य तथा सूचना दी गई है । यह सूचना सबके लिए पर्याप्त है ।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

*The motion was adopted.*

## नागालैंड के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने संबंधी सांविधिक संकल्प और नागालैंड राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

## STATUTORY RESOLUTION RE: CONTINUANCE IN FORCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF NAGALAND AND NAGALAND STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

**सभापति महोदय :** अब हम मद संख्या 26 और 27 लेते हैं। इन दोनों पर एक साथ चर्चा की जायेगी। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी प्रस्ताव पेश करें और उसके बाद विधेयक पर विचार करने हेतु उसे पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव पेश करें।

[**श्री वसंत साठे** पीठासीन हुए]

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

**गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा नागालैंड के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 22 मार्च, 1975 की उद्घोषणा को 26 सितम्बर, 1975 से 6 महीने की अवधि के लिए और जारी रखे जाने का अनुमोदन करती है।"

और

"कि राष्ट्रपति को नागालैंड राज्य के विधानमण्डल की कानून बनाने की शक्ति प्रदत्त करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

जिन परिस्थितियों के कारण मार्च, 1975 में नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई थी उनको राज्यपाल के प्रतिवेदन में सुस्पष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह अपेक्षा करना उचित नहीं है कि वर्तमान विधानमण्डल में से यदि दूसरी सरकार बनी तो वह स्थिर मंत्रिमण्डल होगा तथा इससे अविवेकी और असैद्धान्तिक दल बदल बन्द हो जायेंगे। विशेष सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं वाले राज्य में यह दुःखद और खेदजनक घटनायें हुई हैं तथा यह उत्तेजक स्थिति है। राज्यपाल ने आगे कहा है कि गत पांच सप्ताह से चल रही दल बदल की निष्ठा के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए यह आशा नहीं की जा सकती कि अब जो सरकार बनेगी वह स्थिर भी रह सकेगी।

इसलिए 20 मई, 1975 को विधान सभा भंग कर दी गई थी। राष्ट्रपति की उद्घोषणा होने पर राज्यपाल द्वारा सत्ता सम्भालने के बाद नागालैंड की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और बहुत लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, काफ़ी लोग गिरफ्तार किये गये हैं तथा भूमिगत उपद्रवियों की गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगी है। भर्ती, धन जमा करने आदि जैसी उनकी गैर-कानूनी गतिविधियां भी काफ़ी कम हो गई हैं। प्रशासन नागालैंड विकास कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। वस्तुतः नागालैंड का योजनापरिव्यय चौथी योजना के दौरान 38 करोड़ रुपये से बढ़कर पांचवीं योजना अवधि मे 83 करोड़ रुपये हो गया है। हमारी इच्छा न केवल कृषि और पशुपालन के कार्य को तीव्रगति से चलाने की है अपितु उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संचार व्यवस्था को प्राथमिकता देने की भी है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि वहां कुछ ऐसे सक्रिय अधिकारियों को तैनात किया जाये जो लोगों का कल्याण कर सकें।

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

दूसरा विषय वह विधेयक है जो राष्ट्रपति की कानून बनाने सम्बन्धी शक्तियों के बारे में और उस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति इस सभा के 10 तथा दूसरी सभा के 5 सदस्यों वाली एक ऐसी समिति का गठन करेंगे जो राज्य सम्बन्धी कानूनों को बारीकी से ही नहीं देखेगी बल्कि प्रशासनिक मामलों पर भी विचार करेंगी यही प्रक्रिया उन अन्य राज्यों में भी अपनाई गई जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है।

**सभापति महोदय :** प्रस्ताव पेश किये गये :

"कि यह सभा नागालैंड के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 22 मार्च 1975 की उद्घोषणा को 26 सितम्बर, 1975 से 6 महीने की अवधि के लिए और जारी रखे जाने का अनुमोदन करती है।"

"कि राष्ट्रपति को नागालैंड राज्य के विधान मण्डल की क़ानून बनाने की शक्ति प्रदत करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप मे, विचार किया जाए।"

**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : नागालैंड में राष्ट्रपति शासन और वहां की विधान सभा भंग होने के बारे में लोगों के कुछ भी विचार हो सकते हैं परन्तु आज की बदली हुई परिस्थितियों में वहां पर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक है। नागालैंड की स्थिति में सुधार होने के समाचार मिले हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद आत्मसमर्पण करने वाले नागा विद्रोहियों अथवा पकड़े जाने वाले ऐसे विद्रोहियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। हमारे सुरक्षा अभियानों में अभी हाल में काफी सफलता मिली है और भूमिगत नागाओं की विचारधारा में भी परिवर्तन हुआ है।

कुछ वरिष्ठ भूमिगत नागा नेताओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा लांघ कर बाहर जाने के समाचार मिले हैं। यह बात निश्चय ही चिन्ताजनक है। अत हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि वे वापस न आयें और राष्ट्रविरोधी काम शुरू न करें। नागालैंड में सरकार को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और जिसका सामना केवल प्रशासनिक उपायों द्वारा ही नहीं किया जा सकता। हमारे लिए प्रत्येक प्रकार के हठी विरोधियों को जीतने के लिए एक कल्पनाशील नीति बनाना जरूरी है। नागालैंड की 10 वर्ष पूर्व जो समस्याएं थी वे आज भी विद्यमान हैं। मंत्री महोदय ने योजनाओं के लिए बड़े आवंतनों के बारे में बताया है। हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि आवंटित राशि को ऐसे ढंग से व्यय किया जाए जिससे नागा लोगों को लाभ पहुंचे।

यह खेद की बात है कि नागालैंड में राजनीतिक जीवन इतना दूषित हो गया है कि दल-बदल रोज की बात हो गई है। यह नागा जीवन की सामान्य बात नहीं है। वस्तुत: हमें नागाओं के गुणों को समझना होगा और उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि हम उनके जीवन की सराहना करते हैं।

नागा लोगों की शिकायतें दूर करने के बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए । भारत के कोनें कोने से व्यापारी एवं अवांछित तत्त्व नागालैंड जाते हैं और वहां के आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं ।

नागालैंड में 'युनाइटिड डेमोक्रेटिक फ़्रन्ट' एवं 'नागा नैशनलिस्ट आर्गेनाइज़शन' के बीच आपसी मतभेद हैं । आपातकालीन स्थिति का फायदा उठाते हुए हमें चाहिए कि इन गुटों में एकता की भावना उत्पन्न करें ।

नागालैंड की स्थिति में सुधार हुआ है । ऐसे समाचार मिले हैं कि श्री फिजो बातचीत के लिए तैयार हैं । भारत सरकार को चाहिए कि वह श्री फिजो के साथ बातचीत करके समस्या का समाधान करे और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाए कि नागालैंड भारत का अंग है । जम्मू-कश्मीर की भांति नागालैंड की भी कुछ समस्याएं हैं लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि नागालड भारत के एकता के सूत्र में नहीं बंध सकता ।

आपातकालीन स्थिति ने यह अवसर प्रदान किया है कि हम नागालैंड से भाईचारा बढ़ाएं और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए ।

यह अच्छी बात है कि संसद का सहयोग लिया जाएगा और राष्ट्रपति ऐसा दल बनाएंगे जो यह सलाह देगा कि नागालैंड की स्थिति के बारे में क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ।

**श्री जी० विश्वनाथन्** (वाण्डीवाश) : यह दुर्भाग्य की बात है कि इस सीमावर्ती राज्य में प्रतिनिधि सरकार नहीं है । जब नागालैंड में 'नागा नैशनल आर्गनाइजेशन' अथवा 'युनाइटिड डेमोक्रेटिक फ़्रंट' सरकार थी, तब भी नागालैंड की मूल समस्या का हल नहीं किया जा सका । नागालड की स्थिति में केवल इतना सुधार हुआ है कि नागालैंड का विषय पहले विदेश मंत्रालय के हाथ में था और अब गृह मंत्रालय के हाथ में है । लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का हल नहीं हो सका है । वहां राष्ट्रपति शासन है । केन्द्रीय सरकार को वहां राज्यपाल की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि वह नागालैंड में सभी तत्त्वों-सम्पर्क स्थापित कर सके । नागालैंड के लोगों को यह समझना चाहिए कि वे भारत के अनिवार्य अंग हैं । सरकार नागालैंड के युवकों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सरकारी नौकरी दे सकती है ऐसे कदम उठाने से ही वे यह समझ सकेंगे कि वे भारत का अंग हैं ।

जहां तक राजनीतिक समस्या का सम्बन्ध है, नागालैंड में राजनीतिक दलों का आपसी मतभेद चल रहा है । केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह उनके आपसी विवादों को हल करे ताकि आपात कालीन स्थिति समाप्त होने पर वे सरकार की स्थापना कर सकें । शांति परिषद का यह कर्तव्य है कि वह भूमिगत नागाओं को बातचीत के लिए राजी करें । जब युद्ध विराम की घोषणा की गई थी तो हमनें सोचा था कि समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाएगी । लेकिन इसमें हमें निराशा ही हाथ लगी और समस्या अब भी बनी हुई है । गृह मंत्री को इस समस्या को हल करने के मामले में पहल करनी चाहिए ताकि नागालैंड में ऐसा कोई तत्त्व न बचे जो भारत से पृथक अपनी सत्ता में विश्वास रखता हो । यह एक सीमावर्ती राज्य है । इसलिए हमारी फौजों को सावधान रहना चाहिए ।

**Shri M. C. Daga** (Pali): The tendency of defection is an evil and it should be put to an end. Politics of defection has been discussed a number of time in the House. Defections cannot provide good administration. A Committee was set up to go into the matter and it was decided that our constitution should be amended and the Bill be passed at the earliest. Unless defections are banned this evil cannot be checked.

Many people think that the amendment attempts to encroach upon their freedom. But it is not true. A candidate should continue to be loyal towards the party on whose ticket he has won the election. There is no provision in our Constitution to check defections. Therefore, I want that constitution be amended soon so that the evil of defection may be removed.

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी :** सदस्यों द्वारा विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं उनका आभारी हूं । हालांकि हम आशा करते हैं कि स्थिति में सुधार होगा फिर भी हम चुप नहीं बैठे हुए हैं । मैं इस बात से सहमत हूं कि नागालैंड को आवंटित की गई राशि का सुचारु रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए । मेरा विश्वास है कि प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और इस बात का प्रयत्न करेगा कि लक्ष्यों की पूर्ति हो ।

जहां तक राजनीतिक जीवन का सम्बन्ध है, वहां कांग्रेस संगठन नहीं है । वहां काफी अरसे से नागा नैशनलिस्ट संगठन का शासन रहा है । कुछ समय पूर्व जब युनाइटिड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट को अधिक सीटें मिलीं तो हमने उन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया ताकि छिपे नागा बाहर आ सकें । इस सरकार के मुख्य मंत्री मुझ से एवं प्रधानमंत्री से कई बार मिले और हमने उनकी यथासम्भव सहायता की है । लेकिन दुर्भाग्यवश वहां सदस्यों द्वारा दल-बदल के कारण नागालैंड सरकार टिक नहीं सकी ।

मैं कई बार सदन में बता चुका हूं कि जब छिपे नागा समर्पण कर देंगे तो उन के प्रति सहानुभूति-पूर्वक व्यवहार किया जाएगा ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि अवांछित तत्वों को नागालैंड में घुसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । हमारी अनुमति के बिना कोई भी नागालैंड नहीं जा सकता । हालांकि कुछ नागा विधान-सभा सदस्य दल बदल रहे हैं फिर भी यह उनके जीवन का सामान्य अंग नहीं है । स्वभावतः नागा वीर हैं और हमें उन्हें वीर ही बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । नागालैंड के अतिरिक्त पूर्वोतर क्षेत्र में विदेशी मिशनरियों के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

दल-बदल रोकने के लिए एक विधेयक बनाया गया है और समिति का गठन भी किया गया है । नागालैंड राज्य में दल बदल करवाने के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का कोई हाथ नहीं है ।

वर्षा ऋतु में नागालैंड में चुनाव कराना सम्भव नहीं हैं । अतः मेरा निवेदन है कि वहां राष्ट्र-पति शासन की अवधि बढ़ा दी जाए ।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड के सम्बन्ध में 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 सितम्बर, 1975 से 6 महीने की और अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

**सभापति महोदय :** अब हम मद संख्या 27 पर आते हैं। प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को नागालैंड राज्य के विधान मंडल की कानून बनाने की शक्ति प्रदत्त करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

**सभापति महोदय :** अब हम इस पर खंडवार चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

**खंड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।**

**Clauses 2 and 3 were added to the Bill**

**खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी :** मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए"

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

*The motion was adopted.*

---

# भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक

# DEFENCE OF INDIA (AMENDMENT) BILL

**गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत रक्षा अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए "

आन्तरिक गड़बड़ियों से देश की सुरक्षा को उत्पन्न खतरे के संदर्भ में राष्ट्रपति ने 25 जून, 1975 को आपातकालीन स्थिति की घोषणा की । वर्ष 1971 में बाह्य खतरे को घ्यान में रखते हुए भारत रक्षा अधिनियम, 1971 बनाया गया था । यह अधिनियमम अपातकालीन स्थिति में लाभकारी सिद्ध हुआ है और इसलिए जब जून, 1975 में अपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई तो सरकार ने फिर से भारत रक्षा अधिनियम को लागू करना चाहा । चूंकि सदन का सत्र नहीं था इसलिए राष्ट्रपति ने 30 जून, 1975 को भारत रक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1975 जारी किया । इस अध्यादेश को अधिनियम बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है ।

विधेयक का उद्देश्य देश की आन्तरिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत रक्षा अधिनियम का क्षेत्राधिकार बढ़ाना है । विधेयक में यह प्रस्ताव भी किया गया है । कि भारत रक्षा नियम का नाम बदलकर भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम रखा जाए तथा इसके उपबन्धों में ऐसे परिवर्तन किए जाएं जिसमें 'असैनिक सुरक्षा' तथा 'आन्तरिक सुरक्षा' भी शामिल हों ।

मूल अधिनियम की धारा 38 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ताकि लोगों के व्यवसाय एवं सम्पत्ति के अधिकार में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप न किया जा सके ।

यह एक सामान्य संशोधन है । मुझे आशा है कि सदन इसे पारित कर देगा ।

**Shri Jharkhande Rai** (Ghosi): As the hon. Home Minister has stated the present Bill seeks to replace the ordinance promulgated by the President on 25th June, 1975. Earlier, the scope of Defence of India Act was restricted to meet the threat posed by external aggression. But the present Bill seeks to meet the threat to the security of India by internal disturbances. It is with this intention that the Bill has been introduced.

Shri Jayprakash Narayan started a movement in Bihar and instigated students to boycott colleges. At the outset, it appeared that the agitation has been started to fight corruption and other evils but afterwards it was felt that the movement was purely politically motivated. Had the Government not taken drastic steps in time, it might have brought chaos and anarchy in the country. I, therefore, support this measure. But at the same time I would like to warn that too much power has been concentrated in the hands of Government. There is a possibility of its misuse. Government should use these powers cautiously. False propaganda has been let loose by the opposition parties that Shrimati Indira Gandhi took all these measures as the decisions of the High Court as well as Supreme Court posed a danger to her continuance in office. The defeat of Congress in Gujarat elections

was another aspect which posed a threat to the Centre also. My submission is that the Government should take stern measures to contradict this false propoganda in an organised manner.

The 20-point programme is a progressive programme in the right direction. I would remind the ruling party of the promises made in regard to 'Garibi Hatao' and the socialistic transformation of the society. What has happened to those slogans and commitments? Why those programmes could not be implemented earlier? Even those people and journalists who are staunch supporters of the Congress party have expressed their doubts if the 20-point economic programme would be fully implemented. Even the newspapers, which are supporters of Congress party are doubtful about the successful implementation of the 20-point programme.

We have not been able to implement our land-ceiling laws and distribute the surplus land to the landless because we lack necessary will and courage to do this. It is high time the Government comes forward to implement the 20-point programme boldly.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके बाद लोक-सभा मंगलवार, 29 जुलाई, 1975 / 7 श्रावण, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, July 29, 1975/ Sravana 7, 1897 (Saka)**



GMG PND—L—1258LS—23-9-75—200.

274(12)
3.10.75

(यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है)

[This is translated version in a summary from of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc., in English/Hindi]